कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत कृषि अखबार
Postal R.No.MP/BPL/525/2025-27 RNI No. Raj HIN/2000/3239, डाक प्रेषण का दिन- मंगलवार, बुधवार

कृषक जगत

राष्ट्रीय कृषि अखबार
भोपाल-जयपुर-रायपुर
ISSN -0970-8650

संस्थापित 1946 जयपुर, प्रकाशन सोमवार, 16 फरवरी 2026 | वर्ष-26 | अंक-21 | मूल्य-12/- | कुल पृष्ठ-12 | www.krishakjagat.org

राज्य बजट 2026-27 में किसान कल्याण पर विशेष फोकस

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ का प्रावधान

जयपुर। विधानसभा में उपमुख्यमंत्री (वित्त) दिया कुमारी द्वारा राज्य बजट 2026-27 प्रस्तुत किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता में कहा कि अंत्योदय के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय की पुण्य तिथि के दिन आया यह बजट महिला, युवा, मजदूर, वंचित, किसान सहित अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के कल्याण को समर्पित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 2023-24 के बजट की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है। (विस्तृत समाचार पृष्ठ 3 पर)

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता

किसानों के लिए अवसर या चुनौती?

देश के 85% किसान छोटे और सीमांत हैं। समझौते का सीधा असर इन्हीं पर पड़ेगा।

• मधुकर पवार, मो.: 8770218785

समझौते के प्रमुख बिंदु

- टैरिफ में छूट और आयात-निर्यात कोटा
- सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी मानक
- बौद्धिक संपदा अधिकार और कृषि सब्सिडी
- संवेदनशील फसलों की सुरक्षा

भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते को लेकर देश में बहस तेज है। सरकार इसे ऐतिहासिक अवसर बता रही है, जबकि किसान संगठन और विपक्ष संभावित नुकसान को लेकर चिंतित हैं। समझौते के कृषि अध्यायों की जटिलताएं छोटे किसानों में चिंता पैदा कर रही हैं। इस लेख में हम इस व्यापार समझौते से जुड़े संभावित खतरों, आशंकाओं और समाधान पर चर्चा करेंगे।

– संपादक

सरकार का पक्ष

- निर्यात बढ़ेगा
- निवेश और तकनीक आएगी
- संवेदनशील फसलों की सुरक्षा का दावा

इन दिनों भारत सरकार और विपक्षी दलों के बीच भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौता को लेकर विवाद चल रहा है। व्यापार समझौते को सरकार 'ऐतिहासिक अवसर' बताकर पेश कर रही है जबकि विपक्षी दलों के साथ देश के विभिन्न किसान संगठन भी इस समझौते का विरोध कर रहे हैं।

किसानों की शंकाएं

केंद्रीय मंत्रियों के असंतोषजनक और अस्पष्ट जवाब से विपक्षी दलों और किसान संगठनों की आशंका को बल मिल रहा है कि यह समझौता किसानों के हित में नहीं है। सरकार का दावा है कि अमरीका के साथ व्यापार समझौता भारतीय कृषि उत्पादों के लिए बड़े बाज़ार खोलेगा, निर्यात बढ़ेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और आधुनिक तकनीक व निवेश भारत आएगा। आधिकारिक बयान यह भी दोहराते हैं कि किसी भी संवेदनशील फसल या किसान हितों से समझौता नहीं किया गया है।

> ‘ एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी किसान को एक साल में 50 लाख रूपये तक सब्सिडी मिलती है वहीं भारत के किसानों को सालाना 40 हजार रूपये की सब्सिडी मिल पाती है। ’

आयात निर्यात कोटा और संभावित चुनौती

लेकिन समझौते के कृषि अध्यायों की बारीकियाँ जैसे टैरिफ में छूट, आयात-निर्यात कोटा, सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी मानक, बौद्धिक संपदा अधिकार और कृषि सब्सिडी किसानों के बीच चिंता पैदा कर रही हैं। देशभर के किसान संगठनों का कहना है कि अमरीकी कृषि प्रणाली बड़े पैमाने पर सब्सिडी, अत्याधुनिक मशीनरी और कॉरपोरेट-आधारित उत्पादन पर टिकी है। ऐसे में यदि अमरीकी कृषि उत्पाद सस्ते दामों पर भारतीय बाज़ार में प्रवेश करते हैं, तो छोटे और सीमांत किसान प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएँगे।

डेयरी उत्पादों पर असर

मक्का, सोयाबीन, कपास, डेयरी और बागवानी उत्पादों में आयात बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अमरीका में डेयरी उत्पादन पर भारी सरकारी सहायता और बड़े फार्मों का दबदबा है। किसान संगठनों का तर्क है कि इससे भारत के करोड़ों छोटे किसानों और डेयरी से जुड़े लोगों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

- 85 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत
- न्यूनतम समर्थन मूल्य सुरक्षा की आवश्यकता
- भावांतर जैसी योजना से नुकसान की भरपाई
- आयात प्रभावित फसलों के लिए मुआवज़ा

कृषक जगत न्यूज़ वेबसाइट पर जाने के लिए QR कोड स्कैन करें

श्रेष्ठ कृषि पत्रकारिता के लिए भाकृअनुप ICAR चौधरी चरणसिंह अवार्ड से पुरस्कृत

अंदर पढ़िये...

5

फसलों की गहाई एवं सुरक्षा के उपाय

हर FTA में किसानों का हित सर्वोपरि

प्रमुख फसलें व डेयरी-पोल्ट्री सुरक्षित : श्री चौहान

IARI का 64वां दीक्षांत समारोह

नई दिल्ली (कृषक जगत)। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत द्वारा किए गए सभी मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में किसानों और राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। वे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली के 64वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।

प्रमुख फसलें, डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्र सुरक्षित: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाल के व्यापार समझौतों में गेहूँ, मक्का, चावल, सोयाबीन और मोटे अनाज जैसी प्रमुख फसलों के हितों को संरक्षित रखा गया है। डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के संबंध में भी किसानों के हितों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

'विकसित भारत 2047' में कृषि की केंद्रीय भूमिका: श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में 'विकसित कृषि और समृद्ध किसान' आधारशिला हैं। कृषि को उन्होंने अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ बताते हुए कहा कि यह करोड़ों परिवारों की आजीविका, संस्कृति और आत्मनिर्भरता का आधार है।

'लैब टू लैंड' पर जोर: केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि 'लैब टू लैंड' की अवधारणा को साकार करना प्रत्येक वैज्ञानिक की जिम्मेदारी है, ताकि शोध प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीकें खेतों तक पहुंचें और किसानों की आय में वृद्धि हो। इस वर्ष कुल 470 विद्यार्थियों को उपाधियाँ प्रदान की गईं, जिनमें 290 एम.एससी./एम.टेक. और 180 पीएच.डी. छात्र शामिल हैं।

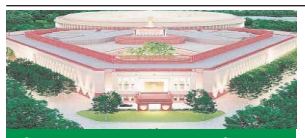

लोकसभा/राज्यसभा में कृषि

पीएम किसान : 30 लाख से अधिक किसानों का लंबित आधार-बैंक लिंकिंग मामला

(निमिष गंगराड़े)

नई दिल्ली (कृषक जगत)। केंद्र सरकार की प्रमुख किसान आय सहायता योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वर्ष 2019 में शुरू होने के बाद से अब तक 21 किस्तों के माध्यम से किसानों को रू. 4.09 लाख करोड़ से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है। हालांकि, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी राज्यवार तालिका के अनुसार देशभर में 30 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों का आधार से लिंक होना अभी भी लंबित है, जिसके कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह जानकारी कृषि राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषक के पास कृषि योग्य भूमि होना तथा बैंक खाते का आधार से जुड़ा होना अनिवार्य है।

30.18 लाख किसानों की आधार लिंकिंग लंबित

कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक विवरण के अनुसार 6 फरवरी 2026 तक देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 30,18,361 किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं।

राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 10,44,200 किसानों की आधार-बैंक लिंकिंग लंबित है। इसके बाद गुजरात (2,90,358), राजस्थान (2,13,779), मध्य प्रदेश (1,87,011) और महाराष्ट्र (1,72,349) का स्थान है। इसके अलावा बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में भी बड़ी संख्या में किसान इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार से बैंक खाता लिंक नहीं होने पर पीएम-किसान की किस्त जारी नहीं की जा सकती। जैसे ही किसान आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हैं, उनकी बकाया राशि तुरंत आधार से जुड़े बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।

आधार सीडिंग के लिए विशेष अभियान

सरकार ने बताया कि किसानों के बैंक खाते समय-समय पर बदलने के कारण आधार सीडिंग की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। लाभार्थियों तक योजना का पूरा लाभ पहुंचाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कॉमन सर्विस सेंटर और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के सहयोग से विशेष अभियान चला रहा है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता... (पृष्ठ 1 का शेष)

स्पष्टता की कमी और मंत्रियों के जवाब- सरकार के सभी मंत्री अमेरिका के साथ हुए समझौते को ऐतिहासिक समझौता करार देते हुए कह रहे हैं कि 'किसानों के हित सर्वोपरि हैं' तथा किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया है लेकिन समझौते के ठोस बिंदुओं पर स्पष्टता नहीं कोई भी सटीक जवाब नहीं दे पाते। कई बार बयान सामान्य आश्वासनों तक सीमित रह जाते हैं, जैसे 'कोई नुकसान नहीं होगा' या 'सभी हितधारकों से चर्चा की गई है।' यही कारण है कि मंत्रियों के जवाबों से किसान संगठन भी भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। विपक्षी दलों ने इस समझौते को 'किसान विरोधी' और 'कॉरपोरेट-परस्त' करार दिया है। उनका कहना है कि यह समझौता अमरीकी दबाव में किया गया है। विपक्षी के मुताबिक जब देश में पहले से ही कृषि संकट, किसानों पर कर्ज़, जलवायु परिवर्तन और बाज़ार अस्थिरता जैसी समस्याएँ हैं, तब अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का बोझ किसानों पर क्यों डाला जा रहा है?

छोटे किसानों को नुकसान- भारत की कृषि संरचना असमान है। देश के करीब 85 प्रतिशत और सीमांत किसान हैं। इनके पास न तो भंडारण की क्षमता है, न ही अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक सीधी पहुँच। व्यापार समझौते से संभावित निर्यात लाभ मुख्यत: बड़े किसानों, एग्री-प्रोसेसिंग कंपनियों और निर्यातकों को मिल सकता है। जबकि आयात बढ़ने का सीधा असर छोटे किसानों पर पड़ेगा। यहां यह भी ध्यान देना होगा कि अमेरिका में किसानों और डेयरी उद्योगों को भारी सब्सिडी दी जाती है और जब अमेरिका से कृषि और डेयरी उत्पाद भारत के बाजार में आयेंगे तो निश्चित ही उनकी कीमतें भारत के किसानों द्वारा उत्पादित कृषि और डेयरी उत्पादों से कम होंगी। ऐसी स्थिति में विशेषकर लघु और सीमांत किसानों के सामने वृहद संकट खड़ा हो सकता है। जब समझौते पर मुहर लग जाएगी तब सरकार भी इससे पीछे नहीं हट सकती।

आगे की राह- अभी केवल किसान संगठनों द्वारा ही विरोध किया जा रहा है। सरकार के सामने अभी यही सही अवसर है जब वह किसानों को इस समझौते के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करे। समझौते के प्रावधानों को सार्वजनिक किया जाए और राज्यों व किसान संगठनों के साथ पारदर्शिता के साथ चर्चा कर कोई सर्वमान्य समाधान निकाले। सरकार को यह भी लिखित में आश्वासन देना होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी और सब्सिडी जारी रहेगी तथा इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लघु और सीमांत किसानों को विशेष संरक्षण भी देना होगा तथा इसके तहत मध्यप्रदेश में चलाई जा रही भावांतर योजना की तर्ज पर आयात से प्रभावित फसलों के लिए मुआवज़ा तंत्र विकसित करना होगा। किसानों के बीज अधिकारों की संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी लिखित वादा करना होगा। अमरीका-भारत व्यापार समझौता केवल आर्थिक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि देश की कृषि और करोड़ों किसानों के भविष्य से जुड़ा सवाल है।

पारदर्शिता की मांग- आज विरोध, असंतोष और आशंका इस बात का संकेत हैं कि नीति और ज़मीनी हकीकत के बीच दूरी बढ़ रही है। यदि सरकार किसानों की आवाज़ नहीं सुनेगी, तो यह समझौता विकास का नहीं, बल्कि नए संकट का कारण बन सकता है। लेकिन यदि पारदर्शिता, संवाद और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ेंगे, तो सम्भवत: यह समझौता किसानों के लिए एक अवसर भी सिद्ध हो सकता है। बेहतर तो यही होगा कि सरकार जल्दबाजी न दिखाते हुए एक समिति का गठन कर इस पर व्यापक विचार-विमर्श कर ही आगे बढ़े।

कृषक जगत डायरी 2026 विशिष्टजनों के हाथों में

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र में गतदिनों आयोजित दलहन सम्मेलन में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं छग के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्रीद्वय श्री रामनाथ ठाकुर एवं श्री भागीरथ चौधरी, आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट एवं केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के निदेशक श्री सी. आर. मेहता को कृषक जगत डायरी भेंट करते हुए अतुल सक्सेना।

खेती की अधिक जानकारी के लिए देखें
www.krishakjagat.org

यूरिया की राज्य में मांग के मुकाबले 3 लाख मीट्रिक टन अधिक यूरिया उपलब्ध कराया गया : कृषि मंत्री

जयपुर। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में किसानों को मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वितरण तथा गुणवत्ता से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

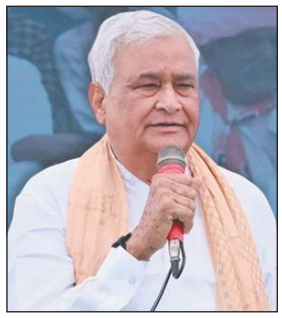

उन्होंने सदन को अवगत कराया कि इस वर्ष राज्य में यूरिया की मांग के मुकाबले 3 लाख मीट्रिक टन अधिक यूरिया उपलब्ध कराया गया है।

कृषि मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्रीमती इन्द्रा द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उर्वरकों की वितरण व्यवस्था और गुणवत्ता से संबंधित किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर विभागीय स्तर पर जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय ऐसी शिकायतों पर अपेक्षित गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता था, जबकि वर्तमान सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किसानों के हितों की रक्षा के लिए सतत प्रयासरत है।

कृषि मंत्री ने बताया कि उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा बड़े स्तर कार्यवाहियां की गई हैं। इसके अंतर्गत 11 हजार 938 निरीक्षण किए गए। अनियमितताओं के विरुद्ध 107 एफआईआर दर्ज की गईं तथा 605 प्रकरणों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा 178 लाइसेंस निलंबित किए गए, 46 लाइसेंस निरस्त किए गए तथा 28 मामलों में पुलिस द्वारा गिरफ्तारियां की गईं। वहीं 16 प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश किए गए, 21 मामलों में न्यायालय से अग्रिम जमानत ली गई और 27 उर्वरक निर्माण फैक्ट्रियों को सील करने की कार्रवाई भी की गई।

इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि कृषकों को फसल सीजन के दौरान मांग अनुसार उर्वरकों की उपलब्धता करवायी गई है। राज्य में वर्ष 2025-26 के दौरान माह जनवरी 2026 तक की 24.43 लाख मीट्रिक टन मांग के विरुद्ध 27.93 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया।

सहकारिता मंत्री ने किया राज्य के प्रथम 'नेफेड बाजार' का उद्घाटन

किसानों को उपज का उचित मूल्य, उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सामग्री होगी उपलब्ध : श्री दक

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने नेहरू सहकार भवन में नेशनल एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लि. (नेफेड) द्वारा शुरु किये गए रिटेल आउटलेट 'नेफेड बाजार' का फीता काटकर उद्घाटन किया। 'किसान से किचन तक' की संकल्पना पर आधारित इस 'नेफेड बाजार' के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध होंगे।

श्री दक ने इस अवसर पर कहा कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं है बल्कि विश्वास, सहभागिता और सामूहिक विकास का माध्यम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में सहकारी आन्दोलन को सशक्त बनाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। राज्य

के इस प्रथम 'नेफेड बाजार' का शुभारम्भ किसानों की समृद्धि एवं उपभोक्ताओं की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि वर्ष 1958 से किसानों की सहकारी संस्था के रूप में नेफेड किसानों को उचित मूल्य और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। इस अवसर पर सहकारिता विभाग की शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती आनन्दी, नेफेड के निदेशक श्री रामप्रकाश चौधरी सहित सहकारिता विभाग एवं नेफेड के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

आर्थिक समीक्षा 2025-26 में भी दिखे राज्य सरकार के प्रयासों के सुखद परिणाम

रबी दलहनों का उत्पादन 22.34 प्रतिशत वृद्धि के साथ 26.61 लाख मैट्रिक टन अनुमानित

जयपुर । मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की किसान हितैषी पहलों ने प्रदेश के कृषि क्षेत्र में समृद्धि को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाया है। कृषकों की आय में वृद्धि, उत्पादकता में बढ़ोतरी, फसलों के उचित मूल्य, सिंचाई अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन, कृषि विपणन प्रणालियों में सुधारके लिए राज्य सरकार द्वाराकिए गए विशेष प्रयासों से सुखद परिणाम सामने आए हैं। इसी कड़ी में बजट 2026-27 में कई निर्णायक और दूरगामी प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे राजस्थान देश का अग्रणी कृषि राज्य बनेगा।

वर्ष 2026-27 बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ 11 लाख रुपये के रिकॉर्ड बजट का प्रावधान किया है। यह राशि गत वर्ष से 7.59 प्रतिशत अधिक है, जो किराज्य सरकार की किसानों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। बजट में ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण योजना के अन्तर्गत 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरण का प्रावधान किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार 800 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान पर व्यय करेगी। वहीं, दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं नॉन फार्मिंग सेक्टर के लिए 590 करोड़ रुपये का ऋण 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर दिया जाएगा। इससे लगभग 26 हजार किसान एवं लघु उद्यमी लाभान्वित होंगे।

डिग्गी, पाइपलाइन और फार्म पॉण्ड के लिए 585 करोड़ से अधिक का अनुदान- खेतों की बुनियादी जरूरतों एवं सुविधाओं पर भी बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। लगभग 50 हजार किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए 160 करोड़ रुपये के अनुदान और 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स स्थापित करने की महत्वपूर्ण घोषणा की है।साथ ही, आगामी वर्ष में 8 हजार डिग्गियों एवं 15 हजार किमी. सिंचाई पाइपलाईन तथा आगामी 2 वर्षों में 36 हजार फार्म पॉण्ड्स के लिए 585 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया जाएगा। इससे 80 हजार से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। वहीं, नीलगाय, जंगली जानवरों आदि से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए 50 हजार किसानों को 20 हजार किलोमीटर तारबंदी हेतु 228 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा। साथ ही, सामुदायिक तारबंदी में कृषकों की न्यूनतम संख्या 10 से घटाकर 7 की गई है।

3 हजार 496 ग्राम पंचायतों में वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां होंगी स्थापित- प्रदेश में उन्नत बीज, बायो एजेन्ट्स एवं माइनर मिलेट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगामी वर्ष में 5 लाख कृषकों को मूंग, एक लाख कृषकों को मोठ तथा एक लाख कृषकों को ज्वार, बाजरा व बरसीम फसल के मिनिकिट वितरित किए जाएंगे। इसी प्रकार, 2 लाख 50 हजार से अधिक किसानों को दलहनी एवं तिलहनी फसलों के बीजों का वितरण किया जाएगा। बजट में 5 हजार से अधिक आबादी वाली 3 हजार 496 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से वर्मी-कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित करने का महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। इसके लिए प्रथम चरण में 2 हजार 98 ग्राम पंचायतों में लगभग 270 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना में लक्ष्य के मुकाबले 99 प्रतिशत से अधिक गुणवत्तापूर्ण बीज वितरित

फसलों को जलवायु जोखिम से बचाने के लिए 'राज कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली'- आधुनिक युग में तकनीक की बढ़ती महत्ता के मद्देनजर इस बजट में किसानों की सहूलियतों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) केन्द्रित नवाचार के विशेष प्रावधान किए गए हैं। डिजिटल कृषि मिशन के अन्तर्गत 'राज कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली' विकसित करने की पहल की गई है।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना में 700 करोड़ रुपये का अनुदान- प्रदेश की डेयरी इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने के लिए भी बजट में विशेषप्रावधान किए गए हैं। राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड के लिए राशि 1 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2 हजार करोड़ रुपये की गई है। वहीं, सरस ब्राण्ड को राष्ट्रीय डेयरी ब्राण्ड के रूप में स्थापित करने के क्रम मेंनेशनल केपिटल रीजन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में सरस उत्पादों के आउटलेट्स खोलने की घोषणा की गई है। वहीं, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अंतर्गत 5 लाख पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए 700 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है। विकसित राजस्थान-2047 विजन के क्रम में प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 200 लाख लीटर प्रतिदिन तथा दुग्ध और दुग्ध उत्पाद बिक्री केन्द्रों की संख्या एक लाख किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

पशुधन क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन (जीएसवीए) 2.17 लाख करोड़ रुपये- आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में 25.74 प्रतिशत का योगदान है। वहीं, पशुधन क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन 2.17 लाख करोड़ रुपये है, जो कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की कुल जीएसवीए का 49.35 प्रतिशत है।इस समीक्षा मेंखरीफ दलहनों का उत्पादन बढ़कर 20.50 लाख मैट्रिक टन (2.34 प्रतिशत वृद्धि) तथा रबी दलहनों का उत्पादन 26.61 लाख मैट्रिक टन (22.34 प्रतिशत वृद्धि) होने का अनुमान है। वहीं, मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में खरीफ एवं रबी सीजन के दौरान 1.13 लाख क्विंटल के लक्ष्य के मुकाबले 1.12 लाख क्विंटल बीज (लगभग 99 प्रतिशत) वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नई फसल किस्मोंके भी 31.50 लाख बीज मिनीकिट नि:शुल्क वितरित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 6 हजार 206 करोड़ रुपये का भुगतान- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में 10.63 लाख पशु और 5.54 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है। साथ ही, राज्य सरकार देशी पशुधन के लिए 100 प्रतिशत प्रीमियम वहन कर रही है और इसमें वर्ष 2025-26 में 42 लाख पशुओं को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना में दिसंबर 2025 तक 1.12 लाख दूध उत्पादकों को बीमित किया जा चुका है।इसी प्रकार राज्य सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को 1 हजार 70 कृषि ड्रोन खरीदने के लिए 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को लगभग 6 हजार 206 करोड़ रुपये के कुल बीमा दावों का भुगतान किया है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार बोन्दिया द्वारा संदीप शर्मा मे. संदीप इन्टरप्राइजेस, एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित एवं पेपर प्रिंट इंडस्ट्रीज 14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (मध्यप्रदेश) से मुद्रित, सम्पादक : सुनील गंगराड़े, समन्वयक : रीतेश कोंडले. इस अंक का मूल्य रुपये 12/- वार्षिक शुल्क रुपये 600/- भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय का पंजीयन क्रं. Raj/HIN/2000/3239

कृषक जगत
संस्थापक : स्व. माणिकचन्द्र बोन्दिया - स्व. सुरेशचन्द्र गंगराड़े

अमृत जगत

मनुष्य अपने गुणों से आगे बढ़ता है न कि दूसरों की कृपा से।
- लाला लाजपत राय

सिंचाई और कृषि का चोली-दामन का साथ

सिंचाई और कृषि का चोली-दामन का साथ है। सदियों से कृषि के प्रमुख आदानों में जल के महत्व को सभी जानते हैं। भारतीय कृषि कुछ दशक पूर्व तक पूरी तरह से मानसून की दासी ही तो थी। बढ़ती जनसंख्या खाद्यान्नों के लिये बढ़ती मांग के चलते प्रति इकाई अधिक उत्पादन की ओर सभी संबंधितों का ध्यान गया और महसूस किया गया कि उत्पादन बढ़ने के लिए सबसे जरूरी आदान जल है। मानसून के प्राप्त जल से खरीफ का पेट तो भर जाता है। परंतु रबी की फसलों के लिये केवल भूमि में संचित नमी पर्याप्त नहीं हो सकती है। जरूरत अविष्कारों की जननी है परिणामस्वरूप देश में जगह-जगह छोटे, मध्यम तथा बड़े बांधों का निर्माण किया गया ताकि सदियों पुराने बने तालाब, नकलूप तथा कुएं के अलावा अतिरिक्त जल भंडार तैयार हो सके जिनसे फसलों की प्यास बुझाने के अलावा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और उत्पादन बढ़ाया जा सके। इन बांधों से कमांड क्षेत्रों का विस्तार हुआ नहरों का मकड़जाल बिछाया गया और प्यासे खेतों तक सिंचाई की पुख्ता व्यवस्था की गई। सिंचाई का शाब्दिक मतलब होता है। सींचना/गीला करना ना की लबालब भरना। सींचने की परिभाषा को पकड़कर उसका अंगीकरण आज की जरूरत बन गई है। आंकड़े बतलाते हैं धरा पर उपलब्ध जल का केवल 27 प्रतिशत ही उपयोगी है। समुद्र में भरा अथाह जल किसी काम का नहीं है अतः इस सीमित जल की बूंद-बूंद का उपयोग सावधानी से

किया जाये। उल्लेखनीय है कि बांधों की क्षमता कुल बोये जाने वाले क्षेत्र का 20-22 प्रतिशत ही पूरा कर सकता है एक हेक्टर असिंचित भूमि को सिंचित बनाने के लिए शासन को आज एक-दो दशक पहले एक लाख तक का खर्च आता था जो वर्तमान में दोगुना हो गया है इस कारण इस दिशा में प्रगति तो है परंतु अभी अपेक्षायें आगे भी हैं। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि एक बार सिंचाई के विस्तार के बाद फसल सघनता 100 प्रतिशत से बढ़कर 200 और आंशिक क्षेत्रों में 300 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। यदि समझा जाये तो जहां-जहां भी सिंचाई के कदम आये वहां-वहां उल्लेखनीय प्रगति हुई ग्रामीण अंचलों में जहां साईकिल नहीं मिलती थी आज चार पहिये वाहनों, ट्रैक्टरों के ढेर लग चुके हैं। यदि आकलन किया जाये जितना खर्च बांधों के निर्माण में किया गया उसका कई गुना धन कमाया जा चुका है। वर्तमान में क्षेत्र में धान का भी विस्तार हो रहा है गेहूं की उत्पादकता दो गुना बढ़ गई जो अपने आप में एक 'रिकॉर्ड' है। सिंचाई के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। जरूरत केवल इतनी ही है कि सिंचाई कब की जाये कितनी की जाये कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा प्रत्येक फसल की क्रांतिक अवस्था आज जगजाहिर है जिस पर सिंचाई की जाना जरूरी होता है जिसका असर उत्पादन पर फौरन पड़ता है। उसका पालन किया जाये नहरों में बहता जल, बांधों में भरी जल सम्पदा केवल आज कृषकों की है, कृषकों के लिये ही है तो फिर उसका दुरुपयोग क्यों अधिक पानी मिट्टी के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालता है क्योंकि पानी के साथ उर्वरकों का भी उपयोग असंतुलित मात्रा में किया जाता है क्योंकि जल जीवन है तो उसका उपयोग भी जीने के उद्देश्य से ही किया जाये तो बेहतर होगा। सिंचाई और कृषि का यह चोली-दामन का साथ सदियों तक बना रहे इसी भावना से उसका सद्उपयोग प्रगति के मार्ग प्रशस्त करेगा।

वैश्विक समझौतों की बिसात पर छोटे पशुपालक

● निलेश देसाई

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल आधार 'हल और हंसिया' नहीं, बल्कि वह खूंटा है जिससे बंधी गाय, भैंस या बकरी किसी भी आपदा में किसान की रसोई जलने की गारंटी देती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और मांस उत्पादन में भी अग्रणी है, लेकिन आज, फरवरी 2026 के इस मोड़ पर, भारत का पशुपालन क्षेत्र एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ 'बजट 2026' की तकनीक-आधारित आधुनिकता की चमक है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और 'यूरोपीय संघ' के साथ हुए व्यापार समझौतों का वह चक्रव्यूह है।

वैश्विक समझौतों के 'बारीक अक्षर'

फरवरी 2026 में हुए 'भारत-अमेरिका व्यापार अनुबंध' को सरकार ने 'ऐतिहासिक' करार दिया है। वाणिज्य मंत्रालय का तर्क है कि इससे भारत के डेयरी और कृषि क्षेत्र को सुरक्षित रखते हुए व्यापार के नए रास्ते खुले हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में 'सुरक्षा' एक सापेक्ष शब्द है। अमेरिका लंबे समय से भारत के 'पोल्ट्री' (मुर्गी पालन) और 'डेयरी' बाजार पर नजर गड़ाए हुए है।

सबसे बड़ा खतरा 'चिकन लेग्स' की 'डंपिंग' का है। अमेरिका में 'ब्रेस्ट मीट' की मांग अधिक है और वहां 'चिकन लेग्स' को उप-उत्पाद मानकर बहुत कम कीमत पर बेचा जाता है। यदि व्यापारिक दबाव के तहत भारत इन पर 'आयात शुल्क' घटाता है, तो भारत के वे लाखों छोटे पोल्ट्री किसान जो 100-200 मुर्गियों से अपनी आजीविका चलाते हैं, रातों-रात बाजार से बाहर हो जाएंगे। वे अमेरिकी कंपनियों की उस कीमत का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे जिसे वहां की सरकार भारी सब्सिडी देती है। यही डर डेयरी क्षेत्र में भी है। 'यूरोपीय संघ' के साथ चल रही बातचीत में अक्सर 'प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों' पर रियायत मांगी जाती है। यदि विदेशी मक्खन, पनीर और मिल्क पाउडर बिना किसी रोक-टोक के भारतीय बाजारों में आए, तो हमारी सहकारी समितियों का ढांचा चरमरा सकता है, जो

करोड़ों छोटे दुग्ध उत्पादकों को 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (एमएसपी) जैसा भरोसा देता है।

इस वैश्विक दबाव के बीच, वित्तमंत्री ने 'बजट 2026' में पशुपालन क्षेत्र के लिए 6,153 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। सरकार का तर्क है कि तकनीक के जरिए हम पशुपालक की उत्पादकता बढ़ाएंगे, ताकि वह वैश्विक बाजार में मुकाबला कर सके, लेकिन यहाँ एक गहरा अंतर्विरोध है।

घाना और मेक्सिको: इतिहास की अनसुनी चेतावनी

ऐसे में उन देशों की याद करना जरूरी है जिन्होंने व्यापार समझौतों के नाम पर अपने पशुपालकों की बलि दे दी। घाना कभी पोल्ट्री में आत्मनिर्भर था, लेकिन 2000 के दशक में यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौतों ने वहां के बाजारों को 'फ्रोजन चिकन' से भर दिया। परिणाम घाना का अपना पोल्ट्री उद्योग 90त्न तक नष्ट हो गया। आज वहां के बाजारों में स्थानीय मांस गायब है।

मेक्सिको ने 1994 में अमेरिका के साथ 'मुक्त व्यापार समझौता' किया। वहां के छोटे सुअर और बकरी पालकों को लगा कि उन्हें अमेरिकी बाजार मिलेगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। अमेरिकी कॉर्पोरेट फार्मों ने अपनी सब्सिडी की दम पर मेक्सिको के स्थानीय बाजार पर कब्जा कर लिया। लाखों छोटे किसान विस्थापित हुए और वे शहरों में मजदूर बनने को मजबूर हो गए। क्या भारत भी उसी रास्ते पर बढ़ रहा है?

'बीज विधेयक 2025' और चारे की राजनीति

पशुपालन का सीधा संबंध चारे से है। प्रस्तावित 'बीज विधेयक 2025' बीजों पर कॉर्पोरेट एकाधिकार को बढ़ावा दे सकता है। पशुपालक के लिए चारा (मक्का, सोयाबीन, ज्वार) मुख्य इनपुट है। यदि बीजों की लागत बढ़ती है, तो पशुओं को पालना महंगा होगा। यदि हम अपनी स्वदेशी किस्मों की बजाय कंपनियों के 'संकर' बीजों पर निर्भर हो गए, तो पशुपालक की आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाएगी।

भारत सरीखे कृषि प्रधान देश में वैश्विक व्यापार समझौतों का सीधा असर कृषि और किसानों पर होता है। वैसे भी हमारे यहां कृषि और पशुपालन, प्राथमिक रूप से व्यापार की बजाए पेट भरने की तकनीक मानी जाती है और ऐसे में इनके साथ की जाने वाली मामूली सी छेड़छाड़ सीधे खाद्य-सुरक्षा को संकट में डाल सकती हैं। ऐसे में हाल के वैश्विक व्यापार समझौतों का हमारे पशुपालकों पर क्या असर होगा?

बीज और पशुपालन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं; एक की आजादी छिनी, तो दूसरा खुद-ब-खुद गुलाम हो जाएगा।

क्या बजट व्यापार समझौतों का मुकाबला कर पाएगा?

'बजट 2026' में की गई 27 प्रतिशत की वृद्धि सराहनीय है, लेकिन क्या यह अंतरराष्ट्रीय समझौतों के असर रोकने के लिए काफी है?

बाजार बनाम सब्सिडी: यदि समझौतों के तहत आयात शुल्क 0त्न कर दिया जाता है, तो बजट की मामूली सब्सिडी किसान का घर नहीं बचा पाएगी।

कॉर्पोरेट कब्जा: बजट का बड़ा हिस्सा तकनीक और स्टार्टअप्स पर केंद्रित है। डर यह है कि यह पैसा छोटे पालकों तक पहुँचने के बजाय उन 'एग्री-टेक' कंपनियों की जेब में जाएगा जो पशुपालन को केवल एक डेटा और मुनाफे की मशीन मानती हैं।

समाधान की राह: संप्रभुता का संरक्षण

भारत को यदि अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाना है, तो उसे 'विकास' की परिभाषा बदलनी होगी। हमें केवल 'निर्यात' के आंकड़ों को नहीं, बल्कि 'अंतिम छोर के पशुपालक' की आय को पैमाना बनाना होगा।

सुरक्षात्मक टैरिफ: सरकार को किसी भी दबाव में आकर डेयरी और पोल्ट्री पर आयात शुल्क कम नहीं करना चाहिए। 'रेड लाइन' केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर दिखनी चाहिए।

डिजिटल सुरक्षा, न कि निगरानी: तकनीक का उपयोग किसान को सुविधा देने के लिए हो, न कि उसे बाजार से बाहर करने के लिए।

स्वदेशी नस्लों का संवर्धन : हमारी बकरियां और मुर्गियां कम खर्च में बेहतर प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं। हमें विदेशी नस्लों के बजाय अपनी स्थानीय नस्लों के सुधार पर निवेश करना चाहिए।

सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण : 'अमूल' जैसे मॉडलों को पोल्ट्री और बकरी पालन में भी लागू करना होगा, ताकि कॉर्पोरेट कंपनियां सीधे किसान का शोषण न कर सकें।

भारत के सामने आज जो परिदृश्य है, वह केवल अर्थव्यवस्था का नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक सुरक्षा और संस्कृति का है। पशुपालन करोड़ों भूमिहीन दलितों, पिछड़ों और महिलाओं का एकमात्र सहारा है। यदि व्यापारिक समझौतों की चमक में हमने अपने इस 'मूक,' लेकिन 'मजबूत' आधार को खो दिया, तो हम अपनी खाद्य सुरक्षा को कॉर्पोरेट तिजोरियों में गिरवी रख देंगे। समय की मांग है कि बजट की राशि का उपयोग छोटे पशुपालकों के लिए 'कवच' बनाने में किया जाए, न कि कॉर्पोरेट के लिए 'कालीन' बिछाने में। जिस देश का पशुपालक और बीज किसी कंपनी की शर्तों पर निर्भर हो जाता है, उस देश की थाली कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती।

(सप्रेस)

फसलों की गहाई एवं सुरक्षा के उपाय

कृषि में मशीनों के उपयोग से जहां पैदावार में बढ़ोत्तरी हुई है। वहीं मशीन संबंधित दुर्घटनाओं की संख्याओं में भी बढ़ोत्तरी हुई है इन दुर्घटनाओं से होने वाले जान माल का नुकसान ना सिर्फ पीड़ित परिवार के लिए बल्कि समूचे समाज और राष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मशीनीकरण के शुरुआती दौर में थ्रेशर से हुए हादसों की संख्या बहुत अधिक थी, जिसमें व्यक्तियों की उंगलियों और हाथ का शारीरिक नुकसान हुआ है इन कारणों को मद्देनजर रखते हुए थ्रेसर से सुरक्षा के लिए शोध किया गया है, तथा सुरक्षित परनाला (हापर) के साथ–साथ कई सुरक्षित उपायों की खोज की गई है, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या काफी कम हुई है। थ्रेसर से होने वाले हादसे गेहूं, धान सोयाबीन आदि फसलों की कटाई व गहाई के दौरान अधिकतर सामने आते हैं। जिनका मुख्य कारण कार्य करते समय नशा और शराब का सेवन करना है, कई घंटे लगातार काम करते रहना, थकावट, थ्रेशर में सुरक्षा प्रणाली की कमी, मशीन के बारे में अधूरी जानकारी, ढीले कपड़े, या दुपट्टा या लंबे बालों का मशीन से उलझना आदि अन्य कारण है। इन दुर्घटनाओं को मशीन में सुरक्षित प्रणालियों का उपयोग करके तथा जरुरी सावधानियों को ध्यान में रखकर घटाया जा सकता है।

थ्रेशर के लिए सुरक्षित प्रणालियां

● बीआईएस के अनुसार थ्रेशर के हापर की लंबाई कम से कम 3 फुट तथा ऊपर के कवर की लंबाई 1.5 फुट होनी चाहिए इसके उपयोग से हाथ थ्रेसर के ड्रम के अंदर जाने से सुरक्षित रहता है।

● **फसल वापस खींचने वाला यंत्र–** यह सुरक्षा यंत्र थ्रेशरों में लगाया जाता है जिसमें फसल को अंदर खीचने के लिए फिडिंग रोलर लगे होते है। इसमें एक रिवर्स गियर सिस्टम होता है, जिसमें हापर के पास एक गियर लीवर लगा होता है। इस गियर लीवर के लगाने से फीडिंग रोलर विपरीत दिशा में घूमने लगते है। यदि किसी व्यक्ति का हाथ फीडिंग रोलर में फस जाता है। तुरंत यह गियर लीवर दबाने से व्यक्ति का हाथ मशीन के अंदर जाने के बजाय, मशीन से बाहर आने लगता है।

● गतिमान पुर्जो पर कवर– चलते हुए पूर्जे जैसे बेल्ट, पुल्ली, फ्लाई व्हील, चेन, शाफ्ट, गियर आदि के ऊपर कवर लगा कर थ्रेशर से संबंधित हादसों को कम किया जा सकता है।

● **फसल थ्रेशिंग ड्रम तक पहुंचाने वाला बेल्ट कन्वेयर सिस्टम–** बड़े हडम्बा थ्रेसर में बेल्ट चेन वाली एक प्रणाली लगा कर फसल के गट्ठे को थ्रेशर के ड्रम तक पहुंचाया जा सकता है, यह प्रणाली फसल के गट्ठे को आदमी की कोहनी के बराबर ऊंचाई से उठाकर थ्रेशर के ड्रम के अंदर पहुंचाती है। इसके उपयोग से जहां थ्रेशर से होने वाले हादसों को कम किया जा सकता है साथ ही साथ काम करने वाले व्यक्ति बड़े आराम से लम्बे समय तक काम कर सकते है।

थ्रेसर का उपयोग करते समय जरुरी सुरक्षा व सावधानियां

● थ्रेशर दुर्घटनाओं से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित परनाला (हापर) तथा हडम्बा थ्रेशर खरीदने वाले किसान भाई फसल वापिस खीचने वाला यंत्र जरुर लगाये।

● थ्रेशर के आसपास की जगह खुली तथा बिना किसी रुकावट की हो।

● बिजली की मोटर को बंद करने वाला बटन काम करने वाले व्यक्ति के पास लगा होना चाहिए, जिससे आपातकाल में मोटर जल्दी बंद कर सके।

● थ्रेशर में फसल लगाने वाला व्यक्ति अनुभवी तथा जानकार होना चाहिए।

● थ्रेशर पर काम करते समय ढीले कपड़े खासतौर पर धोती, दुपट्टा, खुली बाह वाली कमीज तथा घड़ी या कड़ा ना पहने।

● नशा कर या शराब का सेवन करके थ्रेशर पर काम न करें।

● थ्रेशर रात के समय खासतौर पर बिना उचित रोशनी के नहीं चलाये।

● पीटीओ शाफ्ट के ऊपर से या आासपास से ना गुजरे।

● धूल तथा भूसा से बचने के लिए नाक पर कपड़े सा मास्क तथा आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे का प्रयोग करें।

● किसी भी आदमी को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करायें, थकावट व अनिद्रा से हादसे की संभावना बढ़ जाती है।

● काम करते समय बात ना करे किसी और तरफ ध्यान न बाटे तथा थ्रेशर चलते समय किसी भी पुर्जे को खोलने या कसने की कोशिश न करें।

कटाई - गहाई बड़े ध्यान से

फसल उत्पादन की प्रक्रिया में फसल कटाई–गहाई और भंडारण व्यवस्था की अहम भूमिका होती है जो कि बिना किसी लागत के कृषक का लाभ बढ़ा सकती है, इसके विपरीत थोड़ी सी भी लापरवाही काफी नुकसान पहुंचा सकती है। एक अनुमान के अनुसार फसल के काटने से लेकर उसके भंडार में पहुंचने के दौरान लगभग 5–10 प्रतिशत उपज का नुकसान और भंडारण के दौरान भी लगभग इतना ही नुकसान हो जाता है। अतः यह अति आवश्यक है कि किसान भाई कुछ आसान तथ्यों को ध्यान में रखकर खेतों में कटाई से लेकर भंडारण के दौरान होने वाले नुकसान से बच सकते हैं और बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपनी आमदनी में अच्छा खासा इजाफा कर सकते हैं।

फसल कब काटें

● फसल की औसत अवधि को ध्यान में रखते हुए फसल का अच्छी तरह निरीक्षण करें।

● दलहनी तथा तिलहनी फसलों में कम से कम नीचे से 25 प्रतिशत पत्तियां झड़ गई हों तथा अनाज फसलें जैसे गेहूं में पत्तियां सूख गई हों।

● तने का रंग पीला हो गया हो।

● फली, कैपसूल, बाली का रंग पीला, सुनहरा हो गया हो।

● फसल खेत में पूरी तरह सूखने से पहले काट कर खलिहान में सूखने की व्यवस्था करनी चाहिए।

● फसल काटने में देरी करने से फली या बाली झड़ जाने की संभावना होती है और दाने खेत में गिर जाने से उत्पादन में भी नुकसान होता है।

● फसल कटाई के लिए अनुभवी व्यक्तियों को कार्य में लगाएं।

कटाई

● पौध कार्यकीय परिपक्वता (फिजियोलोजिकल मैच्योरिटी) पर जब 75 प्रतिशत फलियों या बालियां पीली पड़ जाये तब फसल को काटना चाहिये, ताकि फलियां चटकने से बच सकें।

● कटाई का कार्य सुबह के समय करें क्योंकि नमी होने के कारण फलियां, बालियां खेत में नहीं बिखरेंगी।

● समय पर कटाई होने से उच्च गुणवत्ता तथा बाजार में उपभोक्ता द्वारा पसंद की जाने वाली गुणवत्ता की उपज प्राप्त होती है, इससे बाजार में उत्पाद का भाव अच्छा मिलता है।

● कटाई करने के बाद पौधों को खेत से उठा कर खुले स्थान पर फिर खेत में ही फैला कर सूखने के लिए रखना चाहिए। सरसों तथा अन्य आसानी से झड़ने वाली फसलों को कटाई के तुरंत बाद खलिहान में स्थानांतरित करें।

● रात के समय खलिहान में फसल को घास–फूस या बड़े तिरपाल से ढ़ंक दें, ताकि रात में ओस गिरने से फसल गीली न हो।

● प्रतिकूल मौसम में कटाई न करें।

● कटाई तथा ढुलाई करते समय विशेष ध्यान रखें कि फसल के साथ किसी प्रकार का अपमिश्रण न होने पाये (जैसे मिट्टी के ढेले, पत्थर अन्य पौधे आदि जिनका बाद में अलग करने में कठिनाई हों और फसल की गुणवत्ता को प्रभावित करते हों।)

● कटाई के लिए उपयुक्त विधि का प्रयोग करें। कांटेदार फसल जैसे कुसुम की कटाई हाथ में दस्ताने पहनकर या उसे कपड़े से लपेटकर या दो शाखा वाली लकड़ी में पौधे का फंसाकर दराते से करना चाहिए।

● यदि कटाई हार्वेस्टर के द्वारा करनी हो तो इसके लिए कृषक भाई फसल को खेत में पूर्ण रुप से परिपक्व होने पर काटें। खेत में मौजूद खरपतवार के पौधों तथा अन्य फसल के पौधों को कटाई से पहले निकाल दें ताकि किसी प्रकार के अपमिश्रण से बचा जा सके।

● कटाई चालू करने से पहले यह अवश्य जांच लें कि हार्वेस्टर पूर्ण रुप से साफ है तथा ठीक ढंग से काम कर रहा है।

गेंदे की खेती : कम लागत में दोगुना मुनाफा

● आरती कुशवाहा (कृषि स्नातक)
● संदीप कुमार शर्मा (कृषि मौसम वैज्ञानिक)
● डॉ. संजय सिंह (वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी)
जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, रीवा

गेंदा भारत में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से उगाए जाने वाले पुष्पों में से एक है। गेंदा अपनी आकर्षक रंगत, सुगंध, लंबी ताजगी और बहुउपयोगिता के कारण सामाजिक, धार्मिक, औषधीय और कृषि दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

वर्गीकरण (CLASSIFICATION)

परिवार (Family name): एस्टरेसी (Asteraceae) (जिसे कम्पोजिटे परिवार भी कहते हैं)

वैज्ञानिक नाम (Scientific names): Tagetes erecta तथा Tagetes patula

धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व

भारत में गेंदा का फूल पूजा-पाठ, त्योहारों, विवाह और अन्य मांगलिक अवसरों में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। इसकी चमकीली पीली और नारंगी रंगत शुभता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। मंदिर सजावट, माला निर्माण और धार्मिक आयोजनों में इसका व्यापक प्रयोग होता है।

सजावटी महत्व

गेंदा बागवानी और सजावट के लिए अत्यंत लोकप्रिय है। इसे घरों, पार्कों, सार्वजनिक स्थलों और समारोहों की सजावट में उपयोग किया जाता है। इसकी आसान खेती और लंबे समय तक खिले रहने की क्षमता इसे सजावटी पौधों में विशेष स्थान देती है।

औषधीय महत्व

गेंदा में एंटीसेप्टिक और सूजनरोधी गुण पाए जाते हैं। पारंपरिक चिकित्सा में इसका उपयोग त्वचा संबंधी समस्याओं, घाव भरने और संक्रमण से बचाव के लिए किया जाता है।

कृषि में महत्व

गेंदा का पौधा कीट नियंत्रण में सहायक माना जाता है। इसे सहफसली (trap crop) के रूप में उगाया जाता है क्योंकि यह कुछ हानिकारक कीटों को आकर्षित कर मुख्य फसल की रक्षा करता है। इससे रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो सकती है।

सामान्य नाम (Common names): अफ्रीकन गेंदा एवं फ्रेंच गेंदा ।

जलवायु आवश्यकताएँ

तापमान

धूप वाली जगहों में अच्छी वृद्धि करता है तथा गर्म एवं आर्द्र दोनों परिस्थितियों में बढ़ सकता है। अत्यधिक ठंड एवं पाला इसे नुकसान पहुँचाता है। बीज अंकुरण के लिए आदर्श तापमान 18-30 डिग्री सेंटीग्रेट तथा उत्तम वृद्धि के लिए 15-29 डिग्री सेंटीग्रेट है। 26 डिग्री सेंटीग्रेट से अधिक तापमान फूल बनने को प्रभावित कर सकता है।

वर्षा

गेंदा उत्पादन के लिए उपयुक्त वार्षिक वर्षा की मात्रा स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है।

मृदा आवश्यकताएँ

गेंदा विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, परंतु हल्की, कार्बनिक पदार्थ से युक्त एवं जल निकास वाली मिट्टी उपयुक्त है। गहरी, उपजाऊ, भुरभुरी मिट्टी जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी हो तथा पीएच मान 7-7.5 (तटस्थ) हो, सर्वोत्तम है। अत्यधिक उर्वर मिट्टी में पत्तियाँ अधिक और फूल कम लगते हैं।

दूरी

टेगेटेस इरेक्टा (अफ्रीकन गेंदा)

40 X 40 सेमी
40 X 30 सेमी
45 X 30 सेमी
60 X 45 सेमी

टेगेटेस पाटुला (फ्रेंच गेंदा)

20 X 20 सेमी
20 X 10 सेमी
30 X 30 सेमी
30 X 20 सेमी

कृषि क्रियाएँ

प्रवर्धन

गेंदा का प्रवर्धन बीज एवं कलम दोनों से किया जाता है। बीजों को खेत में सीधे या ट्रे में बोया जा सकता है। बीजों को 1 सेमी गहराई पर तथा 2 सेमी दूरी पर बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है। ठंड की संभावना होने पर बीज ट्रे में बोए जाते हैं। बीज 4-7 दिनों में अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरण के बाद पौधों की छंटाई कर उचित दूरी बनाए रखें। पौधे 8-10 सप्ताह में फूल देना शुरू कर देते हैं। कलम विधि शुद्धता बनाए रखने के लिए उपयोग की जाती है। 10-15 सेमी लंबी कलम लेकर रूटिंग पाउडर से उपचारित कर हल्की रेतीली मिट्टी में लगाई जाती है।

भूमि तैयारी

छोटे बगीचों में हाथ के औजारों से तथा बड़े खेतों में मशीनों द्वारा भूमि तैयार की जाती है।

भूमि को भली-भांति जोतकर खरपतवार हटाएँ। यदि भूमि कठोर हो तो ट्रैक्टर से जुताई करें। बाद में हल्की जुताई कर मेड़ एवं नालियाँ बनाएँ।

रोपण

पौधों की दूरी 45X35 सेमी रखी जाती है।

फ्रेंच (बौना) गेंदा - 20X20 सेमी

अफ्रीकन गेंदा - 40X30 सेमी

रोपाई से पहले मिट्टी में सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएँ। रोपाई के 30 दिन बाद शीर्ष भाग की छंटाई (पिंचिंग) करें ताकि शाखाएँ अधिक निकलें।

उर्वरीकरण

गेंदा हल्की जैविक खादयुक्त मिट्टी में अच्छा उत्पादन देता है। अधिक नाइट्रोजन से पौधा अधिक बढ़ता है पर फूल कम आते हैं।

मुख्य पोषक तत्व - नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश।

संतुलित उर्वरक प्रत्येक 6 सप्ताह में दें।

सामान्य सिफारिश NPK (200:100:100) किग्रा/हेक्टेयर या मिट्टी परीक्षण के अनुसार।

खाद एवं उर्वरक

भूमि तैयारी के समय: 100 किग्रा N + 100 किग्रा P + 100 किग्रा K प्रति हेक्टेयर मिलाएँ।

शेष 100 किग्रा नाइट्रोजन को 2 भागों में दें
रोपाई के 30 दिन बाद
रोपाई के 40 दिन बाद

सिंचाई

सिंचाई की आवृत्ति मौसम पर निर्भर करती है।

सामान्यतः 4-5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें।

पिंचिंग

प्रारंभिक अवस्था में शीर्ष भाग हटाया जाता है जिससे अधिक शाखाएँ और अधिक फूल प्राप्त होते हैं।

रोपाई के 40 दिन बाद पिंचिंग करने से फूलों की संख्या बढ़ती है।

सहारा देना

लंबे पौधों को सहारा देना आवश्यक है।

बाँस की लकड़ियों से सहारा दिया जाता है।

खरपतवार नियंत्रण

खरपतवार नियंत्रण का उचित समय भूमि तैयारी के दौरान होता है। खरपतवारों को हटाना आवश्यक है ताकि गेंदा पौधों और खरपतवारों के बीच पोषक तत्व एवं जल के लिए प्रतिस्पर्धा न हो। खरपतवारों को हाथ से भी निकाला जा सकता है। पूर्व-अंकुरण (Pre-emergence) शाकनाशी का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु निर्देशों का पालन आवश्यक है। प्रभावी नियंत्रण के लिए पंजीकृत रसायनों का उपयोग करें।

गेंदा पौधों के बीच मल्च (mulch) की परत बिछाने से खरपतवार कम होते हैं तथा मिट्टी की नमी संरक्षित रहती है, विशेषकर जब पौधे छोटे हों।

कटाई

फूल पूर्ण आकार आने पर तोड़ें।

सुबह या शाम के ठंडे समय में तुड़ाई करें।

तुड़ाई से पहले हल्की सिंचाई करें।

रात भर रखने पर फूलों को गीली बोरी से ढकें।

उपज

अफ्रीकन गेंदा: 11-18 टन/हेक्टेयर

फ्रेंचगेंदा: 8-12टन/हेक्टेयर

कीट एवं रोग नियंत्रण कीट

लाल मकड़ी: फूल आने के समय पौधों पर यह कीट दिखाई देता है जिससे पत्तियों पर धूल जैसा रूप दिखाई देता है।

नियंत्रण उपाय: पंजीकृत कीटनाशकों का प्रयोग करें।

रोयेंदार सुंडी: यह कीट गेंदा की पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है।

रोग

गेंदा में मुख्य रोग : डैंपिंग ऑफ, पत्ती धब्बा एवं झुलसा, तथा चूर्णिल आसिता (Powdery mildew) हैं।

डैंपिंग ऑफ:

नवीन पौधों में भूरे मृत धब्बे दिखाई देते हैं। यह जड़ गर्दन को प्रभावित कर पौधों को गिरा देता है। अंकुरण पूर्व एवं अंकुरण पश्चात मृत्यु हो सकती है।

नियंत्रण उपाय: नर्सरी में उचित जल निकास एवं वायु संचार की व्यवस्था करें।

पत्ती धब्बा एवं झुलसा: निचली पत्तियों पर छोटे भूरे गोल धब्बे बनते हैं जो बाद में बड़े होकर पत्तियों के झड़ने एवं पौधे की मृत्यु का कारण बनते हैं।

नियंत्रण उपाय: रोग के लक्षण दिखते ही पंजीकृत फफूंदनाशी का छिड़काव करें।

चूर्णिल आसिता: पत्तियों पर सफेद चूर्ण जैसे धब्बे बनते हैं जो बाद में पूरे पौधे को ढक लेते हैं।

नियंत्रण उपाय: पंजीकृत फफूंदनाशी का छिड़काव करें।

संतुलित पशु आहार एवं इसकी उपयोगिता

● डॉ. अशोक कुमार पाटिल
● डॉ. लक्ष्मी चौहान
ashokdrpatil@gmail.com

पशु को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 24 घंटे में जितना चारा व दाना दिया जाता है, वह मात्रा राशन (आहार) कहलाती है। पशु को उसके शरीर भार के अनुसार, उसके जीवित रहने के लिए जीवन निर्वाह आहार, वृद्धि, उत्पादन व कार्य के लिए वर्धक आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार उस भोजन सामग्री को कहते हैं जो किसी विशेष पशु की 24 घंटे की निर्धारित पौषाणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संतुलित राशन में कार्बन, वसा और प्रोटीन के आपसी विशेष अनुपात के लिए कहा गया है। संतुलित आहार चारे व दाने का ऐसा मिश्रण होता हैं जिसमें पशु को स्वस्थ रखने, वृद्धि, उत्पादन या कार्य करने के लिये विभिन्न पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण एवं विटामिन आदि एक निश्चित मात्रा एवं निश्चित अनुपात में उपलब्ध होते हैं। संतुलित आहार में निम्न लिखित विशेष लक्षण होना चाहिये।

● आहार स्वादिष्ट एवं सुपाच्य हो।

● आहार स्वच्छ, पौष्टिक एवं सस्ता हो। यह विषैला, सड़ा–गला, दुर्गंध युक्त व अखाद्य पदार्थो से मुक्त हो।

● आहार आसानी से उपलब्ध, स्थानीय आहार अवयवों के उपयोग से बनाया जाना चाहिए ताकि सस्ता भी हो।

● चारा भली–भांति तैयार किया जाये। जिससे वह आसानी से पचने व रूचिकर बन सके। सख्त दाने जैसे–जौ, मक्का इत्यादि को चक्की से दलिया के रूप में दलवा लें।

● चारे व दाने का प्रकार अचानक बदलना नहीं चाहिये। चारे में धीरे–धीरे बदलाव लाना चाहिए, ताकि पशु की भोजन प्रणाली पर कुप्रभाव न पड़े।

● गाय एवं भैंसों में शुष्क पदार्थ की खपत प्रतिदिन 2.5 से 3.0 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार के अनुसार होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 400 किलोग्राम वजन की गाय एवं भैंस को रोजाना 10–12 किलोग्राम शुष्क पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। इस शुष्क पदार्थ को हम चारे और दाने में विभाजित करें तो शुष्क पदार्थ का लगभग एक तिहाई हिस्सा दाने के रूप में खिलायें।

● पशुओं में आहार की मात्रा उसकी उत्पादकता तथा प्रजनन की अवस्था पर निर्भर करती है। पशु को कुल आहार का 2/3 भाग

मोटे चारे से तथा 1/3 भाग दाने के मिश्रण द्वारा मिलायें। मोटे चारे में दलहनी तथा गैर दलहनी चारे का मिश्रण दिया जा सकता है। दलहनी चारे की मात्रा आहार में बढ़ने से काफी हद तक दाने की मात्रा को कम किया जा सकता है।

● खाने में सूखा चारा, हरा चारा, और पशु आहार को शामिल करें ताकि सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मिल सके। हरा चारे की पाचनशीलता सूखे चारे से अच्छी होती है एवं पशु इसे बड़े चाव से खाते हैं। हरा चारा दूध का उत्पादन बढ़ाता है। इसमें सूडान घास, बाजरा, ज्वार, मकचरी, जई और बरसीम आदि शामिल हैं। पशुपालकों को चाहिए कि वो हरे चारे में दलिया या दलहनी दोनों तरह के चारे शामिल करें। इससे पशुओं में प्रोटीन की कमी बड़ी आसानी से पूरी की जा सकती है।

● यदि पशु आहार में हरा चारा शामिल है तो पौष्टिक मिश्रण में 10–12 प्रतिशत पाचक प्रोटीन हो। इसके विपरीत यदि हरा चारा नहीं है तो दाने में इसकी मात्रा कम से कम 18 प्रतिशत हो।

● पशुओं को प्रति 100 कि.ग्रा. शरीर भार पर 8–10 ग्राम खाने का नमक प्रतिदिन दें। इसके अतिरिक्त 2 प्रतिशत खनिज मिश्रण आहार में मिला कर दें।

● चारा खिलाने की नांद पूर्णतः स्वच्छ हो। उसमें नया चारा व दाना डालने से पूर्व बची हुई जूठन को बाहर निकाल दें।

पशुओं के आहार में संतुलित दाना कितना खिलायें

वैसे तो पशु के आहार की मात्रा का निर्धारण उसके शरीर की आवश्यकता व कार्य के अनुरूप तथा उपलब्ध भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के आधार पर गणना करके किया जाता है लेकिन पशुपालकों को गणना कार्य की कठिनाई से बचाने के लिए थम्ब रुल को अपनाना अधिक सुविधा जनक है। इसके अनुसार हम मोटे तौर पर व्यस्क दुधारू पशु के आहार को निम्न वर्गों में बांट सकते हैं–

हमारे प्राचीन काल से एक कहावत चली आ रही है की जैसा खाए अन्न वैसा होय तन ओर मन, अर्थात हमारे शरीर की वृद्धि व बनावट में खान पान का विशेष महत्त्व है। यही सिद्धांत पशुओ पर भी लागू होता है परन्तु हम जानते है की पशुओं का जीवन अधिकतर वनस्पति जगत पर ही निर्भर करता हैं। ओर हम यह भी जानते है की वनस्पतियों से प्राप्त भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी होती है जिसके कारण पशुओ की शारीरिक वृद्धि तथा उत्पादन घटता है, इसलिए पशुओं को उनकी अवश्यकताओ की पूर्ति करते हुए खिलाना एक महत्वपूर्ण कला हैं। जो कि पशुपालकों के प्रयोगात्मक अनुभवनों के साथ–साथ विकसित होती आई है। वैज्ञानिक ढंग से पशुओं को खिलाने का तरीका बहुत समय से चला आ रहा है। पशु का आहार ऐसे पौष्टिक तत्वों से बना होना चाहिए जिससे उसकी अवश्यकतानुसार सभी पौष्टिक तत्व मिल सकें। चूंकि यह सभी तत्व उसे एक ही चारे में नहीं मिल सकते है। अतः पशु को विभिन्न प्रकार के आहारों पर निर्भर रहना पड़ता है।

● **जीवन निर्वाह के लिए** – यह आहार की वह मात्रा है जो पशु को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिया जाता है। इसे पशु अपने शरीर के तापमान को उचित सीमा में बनाए रखने, शरीर की आवश्यक क्रियायें जैसे पाचन क्रिया, रक्त परिवाहन, श्वसन, उत्सर्जन, चयापचय आदि के लिए काम में लाता है। इससे उसके शरीर का वजन भी एक सीमा में स्थिर बना रहता है। चाहे पशु किसी भी अवस्था में हो उसे यह आहार की उचित मात्रा देना ही पड़ता है इसके आभाव में पशु कमजोर होने लगता है जिसका असर उसकी उत्पादकता तथा प्रजनन क्षमता पर पड़ता है। गाय के लिए इसकी मात्रा 1.5 किलो प्रतिदिन व भैंस के लिए 2 किलो प्रतिदिन होती है।

● **उत्पादन के लिए आहार–** उत्पादन आहार पशु की वह मात्रा है जिसे कि पशु को जीवन निर्वाह के लिए दिए जाने वाले आहार के अतिरिक्त उसके दूध उत्पादन के लिए दिया जाता है। जीवन निर्वाह के अतिरिक्त गाय को प्रत्येक 2.5 लीटर दूध के पीछे 1 किलो दाना तथा भैंस को प्रत्येक 2 लीटर दूध के पीछे 1 किलो दाना दें। यदि हर चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो हर 10 किलो अच्छे किस्म के हरे चारे को देकर 1 किलो दाना कम किया जा सकता है। इससे पशु आहार की कीमत कुछ कम हो जाएगी और उत्पादन भी ठीक बना रहेगा। पशु को दुग्ध उत्पादन तथा आजीवन निर्वाह के लिए साफ पानी दिन में कम से कम तीन बार जरूर पिलायें।

● **गर्भवस्था के लिए आहार**–पशु की गर्भवस्था में उसे 5वें महीने से अतिरिक्त आहार दिया जाता है क्योंकि इस अवधि के बाद गर्भ में पल रहे बच्चे की वृद्धि बहुत तेजी के साथ होने लगती है। अतः गर्भ में पल रहे बच्चे की उचित वृद्धि व विकास के लिए तथा गाय/भैंस के अगले ब्यांत में सही दुग्ध उत्पादन के लिए इस आहार का देना नितान्त आवश्यक है। 5 महीने से ऊपर की गाभिन गाय या भैंस को 1 से 1.5 किलो दाना प्रतिदिन जीवन निर्वाह के अतिरिक्त दें।

● **बछड़े या बछड़ियों के लिए–** 1 किलो से 2.5 किलो तक दाना प्रतिदिन उनकी उम्र या वजन के अनुसार दें।

● बैलों के लिए- खेतों में काम करने वाले बैलों के लिए 2 से 2.5 किलो प्रतिदिन, बिना काम करने वाले बैलों के लिए 1 किलो प्रतिदिन।

गाय या भैंस का संतुलित दाना मिश्रण कैसे बनायें

पशुओं के दाना मिश्रण में काम आने वाले पदार्थों का नाम जान लेना ही काफी नही है। क्योंकि यह ज्ञान पशुओं का राशन परिकलन करने के लिए काफी नही है। एक पशुपालक को इस से प्राप्त होने वाले पाचक तत्वों जैसे कच्ची प्रोटीन, कुल पाचक तत्व और चयापचयी उर्जा का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तभी भोज्य में पाये जाने वाले तत्वों के आधार पर संतुलित दाना मिश्रण बनाने में सहसयता मिल सकेगी। नीचे लिखे गये किसी भी एक तरीके से यह दाना मिश्रण बनाया जा सकता है, परन्तु यह इस पर भी निर्भर करता है कि कौन सी चीज सस्ती व आसानी से उपलब्ध है।

संतुलित आहार न खिलाने पर पशुओं को होने वाली हानियां

● बछड़े व बछियों की वृद्धि दर कम हो जाती है, जिसके उनकी परिपक्वता में देरी होती है।

● कार्य हेतु जाने वाले पशुओं की कार्यक्षमता कम हो जाती है।

● संतुलित आहार के अभाव में पशुओं में कमजोरी आने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है।

● सांडों में कम उत्तेजना, शुक्राणुओं में निष्क्रियता, गायों में गर्मी में न आना व गर्भधारण में देरी संतुलित आहार के आभाव में उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे पशुओं के गर्भधारण करने पर बछड़ा अस्वस्थ व कमजोर होता हैं तथा कभी–कभी गर्भपात की संभावना भी प्रबल रहती है। संतुलित आहार के आभाव में पशुओं में दुग्ध उत्पादन दिन प्रतिदिन कम होता जाता है जो आर्थिक दृष्टि से अति आवश्यक महत्वपूर्ण है।

समस्या –समाधान

समस्या– टमाटर की खेती पहली बार कर रहा हूं टमाटर फट रहे हैं, उपाय बतायें।

– प्रेमनारायण लोधी

समाधान ● टमाटर में फल फटने के कई कारण हैं। बहुधा फल अनियमित व अव्यवस्थित सिंचाई के कारण भी फटते हैं। न्यूनतम तथा अधिकतम तापक्रम में अधिक उतार–चढ़ाव भी फल फटने का कारण बनता है। खेत में पलवार (मल्च) बिछाने से फटने वाले फलों को रोका जा सकता है।

● फसल में अधिक नत्रजन तथा कम पोटाश देने के कारण भी फल फटते हैं। सुनिश्चित करिये कि आप के खेत में पर्याप्त जैविक पदार्थ है जो तत्वों के पौधों द्वारा अवशोषण में सहायक होता है। संतुलित खाद का उपयोग करें।

● यदि आपने टमाटर अधिक चूना वाली या हल्की दोमट मिट्टी में लगायें हैं तो ऐसी भूमि में सामान्यतः बोरान नामक तत्व की कमी पाई जाती है जिसके कारण भी फल फटने लगते हैं। ऐसी स्थिति में बोरान की पूर्ति के लिए 0.3 से 0.4 प्रतिशत बोरेक्स के घोल का छिड़काव करें। रोपाई के 4 सप्ताह बाद छिड़काव करने से अधिक लाभ मिलता है।

समस्या– प्याज की पत्तियां ऊपर से सूख रही हैं। कन्द नहीं बन पा रहे हैं, उपाय बतायें।

– अमित कुशवाह

समाधान ● यदि आपके खेत में प्याज की पत्तियां ऊपर से पीली पड़कर सूख रही हैं तो यह पोटाश की कमी के कारण हो सकता है। पोटाश की कमी के कारण पुरानी पत्तियां पूर्ण रूप से सूख कर झड़ भी सकती हैं। ऊपरी भाग में पीलापन आ जाता है।

● प्याज की फसल को पोटाश की मात्रा अधिक लगती है। जहां इसे 100 किलो नत्रजन व 50 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर लगता है, वहीं पोटाश की भी 100 किलो प्रति हेक्टेयर मात्रा की इसे आवश्यकता होती है। इनके अतिरिक्त इस फसल को गंधक की भी आवश्यकता होती है। यह हो सकता है। आपने पोटाश की मात्रा कम दी हो।

● पोटाश की कमी के कारण कंद अच्छे नहीं पड़ेंगे तथा उनका छिलका भी पतला रह जाता है। यदि यह लक्षण हो तो आप घुलनशील पोटाश का छिड़काव कर देख लें। परिणाम आपको नई पत्तियों में ही दिखाई देंगे।

● फसल कटाई के बाद खेत से मिट्टी के नमूने लेकर मिट्टी की जांच करा लें, ताकि भविष्य में आप संतुलित उर्वरक की आवश्यकता अनुसार डाल सकें।

समस्या– कटहल में बहुत कम फूलों में ही फल लगते हैं, क्या कारण है?

– खुशीलाल

समाधान ● कटहल के पेड़ों में नर व मादा फूल अलग–अलग होते हैं। सिर्फ मादा फूलों में ही फल लगते हैं। नर फूलों में नहीं, फूलों में फल लगने का यही कारण हैं।

● इसकी पहचान के लिए यह ध्यान रखें कि नर फूल पौधे की नई कोमल टहनियों में लगते हैं यह पत्ती के साथ या मादा फूलों के ऊपर लगते हैं। नर फूलों में पीले चिपचिपे परागकण देखे जा सकते हैं। जिनसे मीठी सुगंध निकलती है जिसमें कीट आकर्षित होते हैं। यह 5 से 10 से.मी. लम्बे व 20 से 45 से.मी. चौड़े रहते हैं। इनके बांझ फूल भी रहते हैं।

● मादा फूल नर फूलों से बड़े रहते हैं वह मोटे–छोटे डंठल से पौधे के पुराने तनों तथा मुख्य तने से निकलते हैं। ये बेलनाकार 5 से 15 से.मी. लम्बे व 3.0 से 4.5 से.मी. चौड़े रहते हैं। मादा फूल ही फल में परिवर्तित होते हैं। इस कारण कटहल में बहुत कम फूलों में ही फल लगते हैं।

समस्या– सब्जी के लिए फ्रेन्चबीन (राजमा) की फसल पहली बार लगाना चाहता हूं।

– प्रेमनारायण

समाधान ● फ्रेन्चबीन की फसल लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती हैं। मिट्टी का पी.एच. मान 5.3 से 6.0 हो तो उपयुक्त रहेगा। परन्तु यह फसल अधिक तापक्रम तथा पाले से बहुत अधिक प्रभावित होती है। इसके लिए भूमि का तापक्रम 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बढ़वार के लिए उपयुक्त रहता है।

● इसकी दो ऋतुएं जून–जुलाई और जनवरी–फरवरी में की जा सकती है। बीज की मात्रा 16–20 किलोग्राम प्रति एकड़ लगेगी। बीज वीटावैक्स से उपचारित कर ही बोयें (3 ग्राम प्रति किलो बीज)।

● इसकी जातियां दो प्रकार की रहती हैं। झाड़ीनुमा पौधों की जातियों में पूसा पार्वती, अर्का कोमल, पेन्सिल वन्डर, जम्प प्राइडर प्रमुख हैं। बेल वाली जातियों में व्ही.पी.एफ–191, प्रीमियर, फुले सुरेखा तथा केतुकी प्रमुख हैं।

● इस फसल में जड़ों में गांठें नहीं रहती जैसा कि अन्य दलहनी फसलों में होता है। जिनमें स्थित राइजोबियम बैक्टीरिया वातावरण से नत्रजन अवशोषित कर पौधों को उपलब्ध करते हैं।

निवेदन

समस्या-समाधान स्तंभ में पाठकों से निवेदन है कि अपनी खेती-किसानी संबंधी समस्या कृषि विशेषज्ञों से निराकरण करने हेतु वाट्सएप पर भेजें. एक बार में केवल एक प्रमुख समस्या ही वाट्सएप पर लिखकर भेजें. वाट्सएप हेल्पलाइन नं. 6262166222.

समस्या-समाधान

कृषक जगत 14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.)
फोन-0755-4248100,2554864

प्राकृतिक खेती – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

रिसोर्स और सपोर्ट

पोषण प्रबंधन में सूक्ष्म जीवाणुओं का क्या रोल है?

माइक्रोब्स मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व और खनिज को पौधों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं, बढ़वार को बढ़ावा देने वाले हॉर्मोन बना सकते हैं, पौधे के रोग प्रतिरोधक प्रणाली को उत्तेजित कर सकते हैं, और तनाव प्रतिक्रिया को ज्यादा या कम कर सकते हैं। आमतौर पर, ज़्यादा अलग–अलग तरह के मिट्टी के माइक्रोबायोम से पौधों में कम बीमारियाँ होती हैं और ज़्यादा पैदावार होती है।

ह्यूमस क्या है?

ह्यूमस या धरण गहरे रंग का, जैविक मैटीरियल है जो पौधे और जानवरों के मैटीरियल के सड़ने से बनता है।

मिट्टी में ह्यूमस कैसे बनता है?

पौधे पत्तियाँ, टहनियाँ और दूसरी चीज़ें ज़मीन पर गिराते हैं। ये चीज़ें जमा होकर पत्तियों का कूड़ा बनाती हैं। जब जानवर मर जाते हैं, तो उनके बचे हुए हिस्से कूड़े में मिल जाते हैं। समय के साथ, यह सारा कूड़ा ह्यूमिफिकेशन नाम के प्रोसेस से अपने सबसे बेसिक केमिकल एलिमेंट्स में डीकंपोज़/टूट जाता है। ज़्यादातर जैविक कूड़े के डीकंपोज़ होने के बाद जो गाढ़ा भूरा या काला पदार्थ बचता है, उसे ह्यूमस कहते हैं। इस तरह ह्यूमिफिकेशन से बनने वाला ह्यूमस कंपाउंड्स पौधों, पशुओं और सूक्ष्म जीवों का मिक्सचर होता है।

ह्यूमस मिट्टी के लिए कैसे फायदेमंद है?

यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है क्योंकि इसमें स्वस्थ मिट्टी के लिए कई उपयोगी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यह मिट्टी से होने वाली बीमारियों को रोकने में मदद करता है। यह माइक्रो पोरोसिटी बढ़ाकर मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद करता है। यह मिट्टी की अच्छी बनावट बनाने को बढ़ावा देता है और पौधों के न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता बढ़ाता है।

गाय के मूत्र में कौन से पोषक तत्व होते हैं और यह प्राकृतिक खेती में मिट्टी के लिए कैसे फायदेमंद है?

नाइट्रोजन, पोटैशियम और फॉस्फोरस से भरपूर न्यूट्रिएंट्स वाला गाय का मूत्र मिट्टी में मिलाने और सीधे इस्तेमाल करने या फॉर्मूलेशन और इस्तेमाल के लिए बहुत फायदेमंद है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलावा, सल्फर, सोडियम, मैंगनीज, आयरन, एंजाइम और क्लोरीन की मौजूदगी गाय के मूत्र को एक ज़रूरी प्राकृतिक पेस्ट रिपेलेंट बनाती है, जिसे सस्टेनेबल खेती के लिए कम बाहरी इनपुट की ज़रूरत होती है।

कृषक जगत
बागवानी सीरीज

साग-सब्जी उत्पादन उन्नत तकनीक — रु. 95 — कोड : 016
सब्जियों में पौध संरक्षण — रु. 75 — कोड : 017
मशरूम एक लाभ अनेक — रु. 45 — कोड : 019
मिर्च की उन्नत खेती — रु. 55 — कोड : 020
केला उत्पादन — रु. 70 — कोड : 025
गुलाब बहुरंगी संशोधित संस्करण — रु. 75 — कोड : 027
पपीता — रु. 55 — कोड : 031
अदरक — रु. 55 — कोड : 032
फलों की खेती — रु. 75 — कोड : 040
सजाएं फूलों से बगिया — रु. 65 — कोड : 041
घर की बगिया — रु. 95 — कोड : 050

डाक द्वारा मंगवाने हेतु निम्नलिखित जानकारी के साथ हमारे पते पर ड्राफ्ट/मनीऑर्डर के साथ ऑर्डर कीजिए . किताब कोड नं. पर ✔ निशान लगाएं

016 ☐ 017 ☐ 019 ☐ 020 ☐ 025 ☐ 027 ☐ 031 ☐ 032 ☐ 034 ☐ 040 ☐ 041 ☐ 050 ☐

नाम _____
ग्राम _____ पोस्ट _____ तह. _____
जिला _____ फोन/मोबा. _____
कुल राशि _____ ऑर्डर की गई प्रतियों की संख्या _____
संलग्न ड्राफ्ट नं. _____ मनी आर्डर रसीद क्र. _____ वी.पी. भेजें ☐

संस्थाओं द्वारा अधिक संख्या में प्रतियां खरीदने पर आकर्षक छूट. अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें.

कृपया ड्राफ्ट या मनीआर्डर कृषक जगत भोपाल के नाम
14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल – 462011
फोन : 0755-4248100, 2554864, मो.: 9826255861, Email-info@krishakjagat.org
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास, इंदौर (म.प्र.) मो. : 9826021837

स्वास्थ्य

गाय का घी : महाऔषधि

वाग्भट द्वारा रचित आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की प्राचीनतम किताब अष्टांगहृदय' में गाय के घी की गुणों का निम्नानुसार वर्णन किया गया है ।

शस्तंधिस्मृति मेधाग्नि बलायु:शुक्रचक्षुषाम। बाल वृद्ध प्रजाकांति सौकुमार्यस्वरार्थिनाम।।

क्षतक्षीण परिसर्पशस्त्राग्निग्लपितात्मनाम। वातपित्तविषोंन्मादशोषालक्ष्मीज्वरापहम।।

स्नेहानामुत्तमं शीतं वयसः स्थापनं परम। सहस्र वीर्य विधिभिर्धृतं कर्म सहस्र कृत।।

अर्थात बुद्धि, स्मृति (स्मरण शक्ति) , मेधा (धारणशक्ति वाली बुद्धि), जठराग्नि, शारीरिक बल, दीर्घायु, शुक्र तथा दृष्टि के लिए उत्तम है ; बालको तथा वृद्धो के लिए श्रेष्ठ है। प्रजा (संतान), कांति, सुकुमारता तथा सुरीला या तेज स्वर चाहने वालों के लिए उत्तम है। क्षत, क्षीण (क्षय पीड़ित), विसर्प्रोगी, शस्त्रहत, अग्निदाह से पीड़ित रोगियों के लिए हितकर है। वातविकार, पित्तविकार, विषविकार, उन्माद, शोष (राजयक्ष्मा), अलक्ष्मी (निर्धनता या कुरूपता) तथा ज्वर का नाश करता है। यह समस्त स्नेह द्रव्यों में श्रेष्ठ है, शीतवीर्य है, यौवन को स्थिर रखने वाले द्रव्यों में भी सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्रोक्त विधियों से पकाकर रखा गया घी हजारों शक्तियों से पूर्ण होता है, अतएव युक्तियुक्त इसका प्रयोग करने पर यह हजारों चिकित्सोपयोगी कर्मो को सफल बनाता है।

स्नेह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है स्पर्श, प्रेम और देखभाल इत्यादि। स्नेह वह एहसास है जिससे आप महसूस करते है कि कोई आपकी परवाह करता है, आपको दुलारता है और आपको आराम देता है। आयुर्वेदिक ग्रंथ स्नेहन के लिए चार पदार्थों की बात करते हैं (शरीर पर तैलीय पदार्थों का अनुप्रयोग): तैला (तेल), वसा (पशु वसा), मज्जा (अस्थि मज्जा) और घृत (घी) हैं। इनमें से, घृत (घी) को श्रेष्ठ माना जाता है। घी त्वचा को मुलायम और मजबूत बनाता है, सुरक्षा प्रदान करता है और त्वचा को पोषण देता है। घी शरीर की संपूर्ण शक्ति, चमक और सुंदरता को बढ़ाता है।

पिछले कई दशकों से विभिन्न गैर भारतीय संगठनो द्वारा घी को हृदय रोग का प्रमुख कारण मानते हुए इसका प्रयोग न करने के सम्बन्ध सुझाव दिए जाते रहे है। इसके कारण कुछ दशको से भारतीयों द्वारा घी का कम उपयोग किया जा रहा था। परिणामस्वरूप भारत में हृदय रोगियों की संख्या घटने के स्थान पर अन्य रोग जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, रोग प्रतिरक्षा कम होना इत्यादि रोगियों कि संख्या में वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान वैज्ञानिक शोधो से यह स्पष्ट हो गया है कि हृदय के बिमारियों में घी का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है साथ ही घी में मौजूद कई विशेष गुणों के कारण अनेक रोगों के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है।

आयुर्वेद चिकित्सा में गाय के घी का महत्वपूर्ण स्थान है। घी के चमत्कारिक गुणों के कारण इसे वर्षो तक सहेज कर रखने कि भी परंपरा थी। 100 वर्ष से अधिक पुराने घी को 'महाघृत' कहा जाता है जो कि बहुत मूल्यवान होता है, इसका उपयोग संनिपत्तज्वर, श्वास रोग आदि में उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार गाय का घी शरीर से विषाक्त पदार्थो को बहार निकालने एवं दोषों को शांत करने में विशेष सहायक है। घी से झिल्ली एवं उत्तको को चिकनाइ एवं नमी प्राप्त होता है, यह उत्तको को क्षति से बचाता है एवं विषाक्त पदार्थो को शरीर से बाहर निकलने में मदद करता है। पक्वाशय (बड़ी आंत) शरीर के पाचन प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थो के विभिन्न अवयवो को अवशोषित कर शरीर के अन्य अंगो तक पहुँचाया जाता है। ज्यादातर बीमारियों का प्रारंभ पाचन तंत्र में किसी भी प्रकार की रुकावट आने से होता है। गाय का घी पाचन प्रणाली को चिकनाइ प्रदान कर पाचन शक्ति बढाने में मदद करता है। घी, पित्त (अग्नि) को संयमित रखने के साथ ही पाचक अम्लो को भी सन्तुलित करने में मदद करता है जिससे पाचन शक्ति बढती है।

मानसिक क्रियाप्रणाली जैसेए सीखना, स्मृति, याद को बढाने में गाय का घी बहुत मददगार है। पुराने शास्त्रों में गाय के घी को मेध्या रसायन कहा गया है जो चेतना एवं स्मृति के लिए लाभदायक है। आँखों की रौशनी, आवाज एवं बुधिमत्ता में भी गाय का घी सहायक है।

वर्तमान समय में पूरा विश्व कोविड 19 महामारी से ग्रसित है। इस महामारी काल में यह स्पष्ट हो गया है कि जिनमे रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है वह विभिन्न वायरस संक्रमणों से आसानी से रक्षा कर सकता है। आहार में नियमित रूप से गाय का घी सेवन करने से शरीर की रक्षा प्रणालियाँ सुचारू रूप से काम करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता सहज रूप से विकसित हो जाती है। बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य एवं बेहतर मानसिक विकास के लिए आहार में घी का नियमित उपयोग किया जाना आज के भागमभाग वातावरण में अपरिहार्य हो गया है। अतः गाय के घी का उपयोग लोगों को आहार में नियमित रूप से करना चाहिए ।

भारत की प्राचीनतम दैवीय संस्कृति काल से गाय एवं उनके उत्पाद को पवित्रता, सभ्यता एवं जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। पुरातन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में गायो का विशेष स्थान था जिसके कारण वेद शास्त्रों में गायो की महिमा का वर्णन मिलता है। कृषि, पर्यावरण, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और अध्यात्मिक प्रगति में गाय का विशेष योगदान है। वर्तमान समय में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार गाय है। गाय के दुध को सम्पूर्ण भोजन भी माना गया है अर्थात दूध में मानव शरीर के पोषण के लिए आवश्यक समस्त अव्यय पाए जाते है। जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों के रस को सार रूप में शहद में परिवर्तित करती है उसी प्रकार गाय विभिन्न प्रकार के वनस्पति को खा कर, पाचन क्रिया द्वारा मंथन कर उसके सार भाग को दूध के रूप में परिवर्तित करती है। जिस प्रकार गाय के दुध, पौधों का सार है उसी प्रकार घी दुध का सार है। घी दूध में उसी प्रकार छिपा है जैसे इस सृष्टि में इश्वर। जिस प्रकार इश्वर को पाने के लिए अनेक जप तप करने पढ़ते है उसी प्रकार दूध से घी प्राप्त करने के लिए भी दूध के गुणों में मुलभुत परिवर्तन कर अर्थात पहले मीठे दूध को खट्टे दही में परिवर्तिब कर फिर उसे ठन्डे पानी के साथ मिलाकर मथने से मक्खन प्राप्त किया जाता है और इसी मक्खन को आग में तपाने से घी प्राप्त होता ळे अतः घी, गाय के दूध का सबसे उत्तम उत्पाद है।

सोया मिल्क शिशु के लिए फायदेमंद

अकसर मांओं को लगता है कि शिशु के लिए सोया मिल्क बेहतरीन विकल्प है। जबकि ऐसा नहीं है। आप जब भी अपने शिशु को सोया मिल्क की शुरुआत करें तो डाक्टर से संपर्क हमेशा करें। ध्यान रखें कि चाहे तमाम कंपनियां सोया मिल्क शिशु के जन्म से ही पीने लायक बना रही हों बावजूद इसके आपको सतर्क रहना जरूरी है। सामान्यतः विशेषज्ञ सोया मिल्क को 6 माह से कम आयु के बच्चों के लिए सोया मिल्क को तरजीह नहीं देते।

यदि आपके शिशु को गाय के दूध से एलर्जी हो तो आप सोया मिल्क को विकल्प के तौर पर चुन सकते हैं। लेकिन आपको यह बताते चलें कि सोया मिल्क एलर्जी न होने की गारंटी नहीं है। असल में यह जानना आवश्यक है कि आपके शिशु को किस प्रकार का दूध सूट करता है। यदि उसे पशु के दूध से एलर्जी है तो विशेषज्ञों की सलाह मुताबिक कब और कितना सोया मिल्क लेना है, यह अवश्य जान लें। आपको यह भी बताते चलें कि सामान्यतः शिशुओं को गाय के दूध से एलर्जी नहीं होती। अपने शिशु के लिए लो फैट सोया मिल्क को ही तरजीह दें।

यदि आप बिना किसी सलाह के अपने शिशु को सोया मिल्क पिला रही हैं तो ध्यान रखें कि कहीं यह समस्या का सबब न बन जाए। दरअसल सोया मिल्क में ओस्ट्रोजेन जैसे तत्व मसलन फाइटोएस्ट्रोजेन बहुतायत में पाए जाते हैं। फाइटोएस्ट्रोजेन पौधों में प्राकृति रूप से मौजूद होते हैं। अतः सोया भी इसका अपवाद नहीं है। जो शिशु सोया मिल्क पर ही पूरी तरह निर्भर है सोया मिल्क के सेवन के चलते उनमें फाइटोएस्ट्रोजेन सम्बंधित बीमारी बढ़ने की आशंका हो जाती है। यह आपके शिशु के विकास को प्रभावित कर सकता है। सामान्यतः सोया मिल्क में ऐसी कोई विशेषता नहीं है जो अन्य दूध में मौजूद न हो। इसके उलट सोया मिल्क के प्रतिदिन सेवन से शिशु के आने वाले दांतों को नुकसान हो सकता है। असल में सोया मिल्क में ग्लुकोस सिरप मौजूद होता है जो दांतों के लिए हानिकारक है। अतः शिशु को पानी अवश्य पिलाएं।

सोते वक्त न दें

जैसा कि पहले ही जिक्र किया गया है कि सोया मिल्क शिशु के स्वास्थ्य के लिए कोई खास लाभकर नहीं है। लेकिन रात को सोते वक्त सोया मिल्क कतई न दे। यह आपके शिशु को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कोशिश करें कि सोया मिल्क हमेशा कप में दें। यह भी ध्यान रखें कि यदि आपने यह दूध बोतल में दिया है तो शिशु बोतल के निप्पल से ज्यादा देर तक न खेले। सोया मिल्क पर आश्रित शिशुओं के प्रति अतिरिक्त सजग रहना जरूरी है।

सेहत के नुस्खे

हम यहां कुछ ऐसे पौष्टिक पदार्थों की जानकारी दे रहे हैं, जिन्हें किशोरावस्था से लेकर युवावस्था तक के लोग सेवन कर लाभ उठा सकते हैं और बलवान बन सकते हैं-

- सोते समय एक गिलास मीठे गुनगुने गर्म दूध में एक चम्मच शुद्ध घी डालकर पीना चाहिए.
- दूध की मलाई तथा पिसी मिश्री जरूरत के अनुसार मिलाकर खाना चाहिए, यह अत्यंत शक्तिवर्धक है.
- बादाम को घिसकर दूध में मिलाकर खाना चाहिए, यह अत्यंत शक्तिवर्धक है.
- छाछ से निकाला गया ताजा मक्खन तथा मिश्री मिलाकर खाना चाहिए, ऊपर से पानी न पिएं.
- 50 ग्राम उड़द की दाल आधा लीटर दूध में पकाकर खीर बनाकर खाने से अपार बल प्राप्त होता है. यह खीर पूरे शरीर को पुष्ट करती है.
- प्रातः एक पाव दूध तथा दो-तीन केले साथ में खाने से बल मिलता है, क्रांति बढ़ती है.
- एक चम्मच असगंध चूर्ण तथा एक चम्मच मिश्री मिलाकर गुनगुने एक पाव दूध के साथ प्रातः व रात को सेवन करें, रात को सेवन के बाद कुल्ला कर सो जाएं. 40 दिन में परिवर्तन नजर आने लगेगा.
- सफेद मूसली या धोली मूसली का पावडर, जो स्वयं कूटकर बनाया हो, एक चम्मच तथा पिसी मिश्री एक चम्मच लेकर सुबह व रात को सोने से पहले गुनगुने एक पाव दूध के साथ लें.
- सुबह-शाम भोजन के बाद सेवफल, अनार, केले या जो भी मौसमी फल हों, खाएं.

पाक्षिक पंचांग

16 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक
विक्रम संवत् 2082
फाल्गुन कृष्ण 14 से फाल्गुन शुक्ल 13 तक

दि.	माह	वार		तिथि/त्यौहार
16	फरवरी	सोम	फाल्गुन कृष्ण	14
17	फरवरी	मंगल	----------	30 अमावस्या पंचक 9.30 दिन से
18	फरवरी	बुध	फाल्गुन शुक्ल	1 पंचक
19	फरवरी	गुरु	----------	2 पंचक
20	फरवरी	शुक्र	----------	3 पंचक
21	फरवरी	शनि	----------	4 विनायकी चतुर्थी, पंचक समाप्त 8.12 रात्रि
22	फरवरी	रवि	----------	5
23	फरवरी	सोम	----------	6
24	फरवरी	मंगल	----------	7/8 होलाष्टक प्रारंभ
25	फरवरी	बुध	----------	9
26	फरवरी	गुरु	----------	10
27	फरवरी	शुक्र	----------	11 आमलकी एकादशी
28	फरवरी	शनि	----------	12
01	मार्च	रवि	----------	13 प्रदोष व्रत

खेती की अधिक जानकारी के लिए देखें
www.krishakjagat.org

अनार, अंजीर व खजूर जैसे फलों से प्रदेश की बन रही नई पहचान : श्री पटेल

कृषि विश्वविद्यालय के किसान मेले में हजारों की तादाद में जुटे किसान

जोधपुर। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पहले प्रदेश सूखाग्रस्त व रेतीले धोरों के रूप में जाना जाता था और अब कृषि वैज्ञानिक व काश्तकारों की लगन और कड़ी मेहनत के चलते अनार, अंजीर व खजूर जैसे फलों की बेहतरीन पैदावार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब गाजर की प्रचुर मात्रा दूसरे शहरों में निर्यात की जा रही है और मूंगफली की भी बेहतरीन पैदावार यहां हो रही है। ऐसे में मंडी स्थापित होने पर किसानों को काफी फायदा होगा। श्री जोगाराम पटेल शनिवार को कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर में नाबार्ड, इफको व आत्मा (कृषि विभाग) के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित वृहद कृषि विज्ञान मेले में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से धरती बीमार हो रही है, इस समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक जैविक उर्वरकों के नए विकल्प दे रहे हैं। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है तो स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता को प्रमुखता देते हुए किसान जैविक खेती को अपनाएं।

डिग्गी-पौंड की अवधारणा को अपनाएं- श्री पटेल ने कहा किसान अपने खेतों में डिग्गी—पौंड की अवधारणा को अपनाएं, इससे फसल को दोगुना फायदा होगा। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे खेती में नए अनुप्रयोग व सरकार की लाभकारी योजनाओं का फायदा लेकर कृषि को अपनाएं। किसान की समृद्धि से ही प्रदेश व देश की आर्थिक उन्नति संभव है।

बेरोजगारी दूर करने में कृषि कारगर- कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद किसान आयोग के अध्यक्ष श्री सी आर चौधरी ने कहा उन्नत खेती को अपनाने का संदेश हर गांव-ढाणी में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को कम करने में सबसे बेहतर उपाय कृषि है। उन्होंने कहा कि किसान फसलों में गुणवत्ता बढ़ाये, अन्यथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पाद स्वीकार्य नहीं होंगे। जैविक उत्पादों की बाजार में तेजी से मांग है, किसान इस पर कार्य करें।

विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन- इस दौरान मेले की स्मारिका व विश्वविद्यालय के विभिन्न वैज्ञानिकों की ओर से तैयार प्रकाशनों का विमोचन भी अतिथियों ने किया। कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल सहित कृषि में नवाचार व उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों का सम्मान भी किया गया।

छोटा विज्ञापन बड़ा लाभ

व्यक्तिगत क्लासीफाइड

विज्ञापन के लिए निर्धारित कैटेगरीज-

- बेचना/खरीदना- ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेशर, खेत, मकान, मोटरसाइकल, पशु, मोटर, जनरेटर आदि
- बीज ▪ औषधीय फसल

विज्ञापन दर - मात्र रु. 600/- प्रति संस्करण लगातार 4 सप्ताह तक

- अधिकतम 25 शब्द
- अतिरिक्त शब्द- 2 रु. प्रति शब्द, अधिकतम 40 शब्दों तक

डिस्प्ले क्लासीफाइड

विज्ञापन दर : रु. 800/- प्रति अंक, प्रति संस्करण
साइज : फिक्स साइज- 8 × 5 = 40 वर्ग से.मी.

कैटेगरीज- बीज, कीटनाशक, जैविक खाद, ट्रेवल्स, तीर्थ यात्रायें, आवश्यकता, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कृषि सेवा केन्द्र, शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण, बारदाने, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, होस्टल, वित्तीय संस्थाएं, चिकित्सक, एग्री क्लीनिक आदि।

कृषक जगत
की सदस्यता एवं विज्ञापन के लिए हेल्पलाइन नं.
(सोमवार से शनिवार प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक)
62 62 166 222
www.krishakjagat.org @krishakjagat
@krishakjagatindia @krishak_jagat

आंवला उत्पादन और मूल्य संवर्धन की संभावनाओं पर मंथन

कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को बताए आंवला उत्पादन, प्रसंस्करण और ब्रांडिंग के गुर

दुर्गापुरा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार पंच गौरव योजना के तहत आंवला उत्पादन, मूल्य संवर्धन और किसानों को सशक्त बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में जिला स्तरीय आंवला क्रेताङ्कविक्रेता सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का सफल आयोजन किया गया। पंच गौरव योजना के अंतर्गत 'एक जिला-एक उपज' आंवला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित यह कार्यक्रम जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में संपन्न हुआ।

सम्मेलन में जयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से 700 से अधिक किसान, एफपीओ प्रतिनिधि, व्यापारी, प्रसंस्करण इकाइयों के संचालक एवं कृषि उद्यमी शामिल हुए। कार्यक्रम ने आंवला उत्पादकों को सीधे क्रेताओं से संवाद का अवसर प्रदान किया, जिससे विपणन के नए मार्ग प्रशस्त हुए।

कार्यक्रम के दौरान जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी एवं कृषि आयुक्त श्रीमती शुभम चौधरी ने किसानों से संवाद करते हुए आंवला उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने, प्रसंस्करण एवं ब्रांडिंग पर ध्यान देने तथा बाजार की मांग के अनुरूप गुणवत्ता उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया।

मुख्य आयोजना अधिकारी डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि सम्मेलन में जयपुर जिले की पंच गौरव उपजों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई। स्टॉलों पर पारंपरिक कृषि उत्पादों के साथ उनके मूल्यवर्धित स्वरूप का प्रदर्शन किया गया, जिससे स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और बाजार विस्तार को बढ़ावा मिला।

उपनिदेशक उद्यान श्री हरलाल सिंह बिजारनियां ने जानकारी दी कि प्रदर्शनी में आंवला से निर्मित मुरब्बा, कैंडी, जूस, चूर्ण एवं औषधीय उत्पादों के साथ आधुनिक कृषि उपकरण, प्रसंस्करण तकनीक, पैकेजिंग, भंडारण एवं गुणवत्ता संवर्धन से जुड़े नवाचारों का प्रदर्शन किया गया। उन्होंने जयपुर जिले में आंवला उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी।

कार्यक्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. योगेश कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर श्री बी.डी. यादव, सहायक निदेशक श्री राम सिंह शेखावत तथा कृषि अधिकारी श्री सांवरमल यादव ने आंवले की उन्नत कृषि विधियों, पोषक गुणों एवं उत्पादन बढ़ाने की वैज्ञानिक तकनीकों पर विस्तृत जानकारी दी तथा किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान किया।

इस अवसर पर उद्यानिकी विभाग द्वारा आंवले की खेती, उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन संभावनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म का भी प्रसारण किया गया, जिसे किसानों ने सराहा। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री मुकेश कुमार मूंड सहित कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

78 वर्ष
कृषक जगत
राष्ट्रीय कृषि अखबार
भोपाल-जयपुर-रायपुर

वर्ष में कई आकर्षक एवं संग्रहणीय विशेषांक
- खरीफ विशेषांक
- पौध संरक्षण विशेषांक
- रबी विशेषांक
- बीज विशेषांक
- बागवानी विशेषांक

25 लाख पाठक

कृषक जगत की सदस्यता राशि
⇨ वार्षिक रु. 600/- ⇨ दो वर्ष रु. 1000/-
⇨ तीन वर्ष रु. 1500/-

डाक से नियमित रूप से **'कृषक जगत'** – प्रति सप्ताह ◻ भोपाल ◻ जयपुर ◻ रायपुर संस्करण निम्न पते पर एक वर्ष/दो वर्ष / तीन वर्ष भेजें. (अपनी आवश्यकता के अनुरूप निशान लगायें).

नाम .....
.....
ग्राम .....पो. .....
डाक वितरण हेतु अपने क्षेत्रीय पोस्टमैन का मो. नं. अवश्य दें : .....
वि.ख. ..... तह. .....
जिला ..... पिन ☐☐☐☐☐☐ राज्य .....
शिक्षा ..... भूमि ..... उम्र .....
ट्रैक्टर/मॉडल ..... फोन/मो. .....
ई-मेल .....
मेरा सदस्यता शुल्क रुपये ..... नगद/डिमांड ड्राफ्ट/UPI/Bank/
मनीऑर्डर/क्र. ..... 'कृषक जगत' भोपाल के नाम संलग्न है।

कृषक जगत में सदस्यता लेने के माध्यम
कृषक जगत ऑनलाइन पेमेंट लिंक
http://www.krishakjagat.org/krishak-jagat-subscription/index.php

Online Payment- SBI-A/C No. 53007193070, IFSC : SBIN 0005793, Google Pay/Phone Pe/PAYTM/UPI : Mobile 9826255861
कृषक जगत हेल्पलाइन नम्बर 6262166222

पेमेंट के बाद : 1. पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें इस फोन नम्बर पर 9826255861
2. पूरा नाम, पता पिन कोड के साथ भेजें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें
प्रसार प्रबंधक कृषक जगत

भोपाल : 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल-462011 फोन: 0755-4248100, मो. : 9926653355, 9826255861, E-mail-info@krishakjagat.org
जयपुर : एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राज.), मो. : 9829254092, 7387422952
रायपुर : एलआईजी-5, सेक्टर-2, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.),मो.: 9826255862
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास इंदौर, मो. : 9826021837, 9826024864
नई दिल्ली : 403,आईएनएस बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली, मो. : 7387422952

सदस्यता शुल्क भुगतान के लिए QR कोड स्कैन करें

इंडियन माइक्रोन्यूट्रिएंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने उठाया

'वन नेशन, वन लाइसेंस' का मुद्दा

मुंबई (कृषक जगत)। इंडियन माइक्रोन्यूट्रिएंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन (IMMA) ने मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में आयोजित 6वें राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन एवं बी2बी एक्सपो का सफल आयोजन किया। सम्मेलन में नीतिगत सुधार, मृदा स्वास्थ्य और नियामकीय समन्वय प्रमुख विमर्श के विषय रहे।

'कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड को-क्रिएट' थीम के तहत आयोजित दो दिवसीय इस सम्मेलन में नीति-निर्माताओं, नियामकों, वैज्ञानिकों, राज्य कृषि नेतृत्व तथा कृषि-इनपुट निर्माताओं ने भाग लिया। चर्चा का केंद्र भारत के फसल पोषण तंत्र को सुदृढ़ करने और कृषि-इनपुट क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने पर रहा।

सम्मेलन का उद्घाटन श्री जयकुमार जितेंद्रसिंह रावल, मंत्री (मार्केटिंग एवं प्रोटोकॉल), महाराष्ट्र सरकार ने किया। डॉ. पी. के. सिंह, कृषि आयुक्त, भारत सरकार, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ICAR, राज्य कृषि विभागों, विभिन्न राज्यों के कृषि आयुक्तों तथा प्रमुख कृषि-इनपुट कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने नीतिगत संवाद और तकनीकी सत्रों में भाग लिया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. पी. के. सिंह ने सतत कृषि विकास के लिए मृदा स्तर पर हस्तक्षेप के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संतुलित पोषण और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (Integrated Nutrient Management) जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पादकता बढ़ाने, खेती की लागत कम करने, क्षतिग्रस्त भूमि को पुर्नस्थापित करने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

श्री जयकुमार जितेंद्रसिंह रावल ने पिछले चार दशकों में माइक्रोन्यूट्रिएंट और विशेष उर्वरक उद्योग के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इस उद्योग ने फसल उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने किसानों, बीज उद्योग, उर्वरक एवं माइक्रोन्यूट्रिएंट निर्माताओं तथा कटाई के बाद प्रसंस्करण क्षेत्रों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि एक एकीकृत कृषि मूल्य श्रृंखला का निर्माण हो सके। उन्होंने MSME आधारित उद्योगों के प्रति महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि अनुसंधान, विकास और नवाचार में निरंतर निवेश से ही भारत 2047 तक वैश्विक कृषि-इनपुट विनिर्माण में नेतृत्व प्राप्त कर सकता है।

सम्मेलन का एक प्रमुख नीतिगत निष्कर्ष 'वन नेशन, वन लाइसेंस' की दिशा में उद्योग की दोबारा उठाई गई मांग रही। इसके तहत राज्य सरकारों द्वारा विपणन अनुमति के लिए उपयोग किए जा सकने वाले केंद्रीकृत लाइसेंसिंग डेटा स्टैक की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

IMMA ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रगतिशील किसानों को फसल-विशेष नवाचार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया, जिससे खेत स्तर पर माइक्रोन्यूट्रिएंट आधारित हस्तक्षेपों की भूमिका को रेखांकित किया गया।

सम्मेलन के दौरान IMMA पिच पार्टी का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्टार्टअप्स और स्थापित कंपनियों द्वारा 16 नवीन फसल पोषण और कृषि-इनपुट उत्पाद प्रस्तुत किए गए।

IMMA के अध्यक्ष डॉ. राहुल मिर्चंदानी ने कहा कि संगठन ने भारत सरकार के साथ मिलकर एक केंद्रीकृत लाइसेंसिंग डेटा रिपॉजिटरी विकसित करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे राज्य सरकारें एक सामान्य सर्वर के माध्यम से एक्सेस कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि इससे बार-बार होने वाले अनुपालन को कम किया जा सकेगा, जबकि नियामकीय निगरानी बनी रहेगी, और 'वन नेशन, वन लाइसेंस' को व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि IMMA ने ICAR के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सदस्यों के लिए नियमित तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे।

कीटनाशकों पर आयात शुल्क 5% करने की मांग

नई दिल्ली (कृषक जगत)। ACFI – एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया (ACFI) ने सरकार से आग्रह किया है कि भारत में कीटनाशकों पर आयात शुल्क को मौजूदा 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाए। संगठन का कहना है कि इससे किसानों की खेती लागत कम होगी और उन्हें नई एवं प्रभावी फसल सुरक्षा तकनीकों तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी।

सरकार को सौंपे गए अपने ज्ञापन में ACFI ने फसल सुरक्षा रसायनों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों के युक्तिकरण की भी मांग की है।

ACFI के अनुसार, पिछले एक दशक में सरकार ने कृषि और किसानों के समर्थन के लिए कई योजनाएं और सुधार लागू किए हैं, जिनमें सब्सिडी, इनपुट सपोर्ट, ऋण सुधार, डिजिटल अवसंरचना और कृषि विपणन से जुड़े कदम शामिल हैं। संगठन का मानना है कि कुछ अतिरिक्त नीतिगत उपाय किसानों को और अधिक लागत-प्रभावी खेती करने में मदद कर सकते हैं।

ACFI ने कहा कि किसान खेती के लिए बीज, उर्वरक, सिंचाई, श्रम और अन्य इनपुट्स पर बड़ी राशि निवेश करते हैं। ऐसे में कीटनाशक फसलों को कीट और रोगों से बचाने में एक प्रकार की सुरक्षा भूमिका निभाते हैं। बदलते फसल पैटर्न और कृषि-जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए किसानों को नए और प्रभावी उत्पादों की व्यापक उपलब्धता आवश्यक है।

एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक डॉ. कल्याण गोस्वामी ने कहा, 'हम आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का सुझाव देते हैं, ताकि किसानों तक नई तकनीकों का वास्तविक लाभ पहुंच सके। यह निर्णय भारत की समग्र कृषि रणनीति के संदर्भ में लिया जाना चाहिए।'

उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट्स उचित कीमतों पर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

ACFI ने कृषि इनपुट्स पर मौजूदा GST संरचना पर भी ध्यान दिलाया। जहां उर्वरकों पर 5 प्रतिशत GST लगाया जाता है, वहीं कीटनाशकों पर 18 प्रतिशत GST लागू है। संगठन के अनुसार, यह अंतर खेती की लागत को बढ़ाता है, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए।

भारत में 85 प्रतिशत से अधिक किसान छोटे और सीमांत श्रेणी में आते हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है। ACFI का कहना है कि ऐसे किसान पहले से ही सीमित वित्तीय संसाधनों और सब्सिडी तक सीमित पहुंच की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कीटनाशकों पर अधिक GST सीधे तौर पर उनकी लागत बढ़ाता है और आवश्यक फसल सुरक्षा समाधानों को अपनाने में बाधा बनता है।

डॉ. गोस्वामी ने कहा कि उर्वरक और कीटनाशक दोनों ही फसल उत्पादन और उपज सुरक्षा के लिए आवश्यक इनपुट हैं। ऐसे में इन पर अलग-अलग और असमान GST दरें बनाए रखना नीतिगत असंगति को दर्शाता है।

धानुका किसान सम्मेलन में जल प्रबंधन और टिकाऊ खेती पर जोर

मुज़फ्फरपुर (कृषक जगत)। 'बिहार की कृषि, भारत का भविष्य – विकसित भारत 2047' विषय पर धानुका एग्रीटेक लि. द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में जल संरक्षण, वैज्ञानिक खेती और किसानों की आय वृद्धि को लेकर व्यापक मंथन हुआ। जिसमें लगभग 450 प्रगतिशील किसानों ने सहभागिता की।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी ने कहा कि प्रभावी जल प्रबंधन के बिना कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता संभव नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न किसान कल्याण योजनाओं की जानकारी भी किसानों को दी।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. गोपाल त्रिवेदी ने कृषि अनुसंधान और किसानों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता बताई। वहीं धानुका एग्रीटेक के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. पी. के. चक्रवर्ती ने संतुलित कृषि आदानों और पर्यावरण-अनुकूल पद्धतियों पर जोर दिया।

आईसीएआर-अटारी, पटना के निदेशक डॉ. अंजनी कुमार ने कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों और तकनीक के बीच सेतु बताया।

RPCAU के कुलपति डॉ. पुण्यव्रत सुविमलेन्दु पांडेय ने कहा कि बिहार में फसल विविधीकरण और मूल्य श्रृंखला विकास की अपार संभावनाएं हैं।

तकनीकी सत्र में धानुका एग्रीटेक लि. ने राज्य की कृषि परिस्थितियों के अनुरूप फसल सुरक्षा समाधान प्रस्तुत किए। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट श्री अनुपम पाल ने कहा कि धानुका नवाचार, गुणवत्ता और मजबूत फील्ड सपोर्ट के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कंपनी के मूल मंत्र- 'धानुका का प्रणाम, हर किसान के नाम' को भी रेखांकित किया। सम्मेलन ने बिहार की कृषि में नवाचार और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में राज्य की भूमिका को सशक्त रूप से रेखांकित किया।

खेती में मशीनीकरण की रफ्तार तेज

CNH-न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर ने भारत में बढ़ाई तैयारी

(निमिष गंगराडे)

भारत की खेती में ट्रैक्टर आज भी सबसे अहम मशीन बना हुआ है। जुताई, बुवाई, ढुलाई और अनेक कृषि कार्य इसके बिना पूरे नहीं हो पाते। इसके बावजूद, पिछले कुछ वर्षों तक देश में ट्रैक्टर बाजार सालाना 10 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार नहीं कर सका। किसानों को जरूरत तो थी, लेकिन ऊँची कीमतें और नीतिगत कारणों से खरीद के निर्णय अक्सर टलते रहे। अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर जीएसटी ढांचे की समीक्षा के बाद वर्ष 2025 में भारत में ट्रैक्टरों की कुल बिक्री 10.90 लाख यूनिट तक पहुंच गई। यह स्पष्ट संकेत है कि खेती में मशीनीकरण की रफ्तार एक बार फिर तेज हो रही है।

इसी बदलते माहौल में सीएनएच (CNH)- जो न्यू हॉलैंड (New Holland) ट्रैक्टर बनाती है- ने भारतीय बाजार में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की है। वर्ष 2025 में कंपनी ने 48,642 ट्रैक्टर बेचे, जो 2024 की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक हैं। इसके साथ ही कंपनी की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 4.46 प्रतिशत तक पहुंच गई। जहां पूरे ट्रैक्टर उद्योग की वृद्धि दर 2025 में लगभग 20 प्रतिशत रही, वहीं सीएनएच इंडिया ने 27 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की। इस तेजी के पीछे सरकारी नीतियों का समर्थन, डीलर नेटवर्क का विस्तार, प्रतिस्पर्धी कीमतें और खेतों में मशीनों की बढ़ती जरूरत जैसे कारण प्रमुख रहे। कंपनी ने अब स्पष्ट लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2030 तक सालाना एक लाख ट्रैक्टर बिक्री का आंकड़ा हासिल किया जाए। खेती में मजदूरों की कमी और समय पर कृषि कार्य पूरा करने की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए कंपनी को भरोसा है कि आने वाले वर्षों में ट्रैक्टर की मांग और तेज़ होगी।

हार्वेस्टर और बेलर सेगमेंट में किसानों की बढ़ती पसंद

क्रॉप सॉल्यूशंस पर इस फोकस का असर बिक्री के आंकड़ों में भी साफ दिखता है। वर्ष 2025 में सीएनएच ने भारत में 510 हार्वेस्टर और 741 बेलर बेचे। इसके साथ ही हार्वेस्टर और बेलर सेगमेंट में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी करीब 60 प्रतिशत तक पहुंच गई। कंपनी ने वर्ष 2023 में TREM-V मानकों के अनुरूप गन्ना हार्वेस्टर भी पेश किया था, जो नए उत्सर्जन नियमों के अनुसार विकसित किया गया है। किसानों के बीच अपनी पहचान और भरोसा मजबूत करने के लिए सीएनएच ने 2025 में क्रिकेटर युवराज सिंह को ब्रांड एंबेसडर बनाया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से सीधा जुड़ाव स्थापित किया जा सके।

पुणे प्लांट: जहां बनते हैं New Holland ट्रैक्टर और आधुनिक कृषि समाधान

सीएनएच (CNH) की इस रणनीति की मजबूत नींव कंपनी की पुणे स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। लगभग 2,80,000 वर्ग मीटर में फैले इस प्लांट में डिजाइन, इंजीनियरिंग और उत्पादन की पूरी प्रक्रिया एक ही परिसर में संचालित होती है। यहीं न्यू हॉलैंड (New Holland) ब्रांड के ट्रैक्टर तैयार किए जाते हैं, जिन्हें देशभर के किसान इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्लांट में ट्रैक्टरों के साथ कंबाइन हार्वेस्टर, गन्ना हार्वेस्टर, स्मॉल स्क्वायर बेलर, हेडर, कैब और अन्य कृषि उपकरण भी निर्मित किए जाते हैं। आधुनिक असेंबली लाइन, पेंट शॉप और अत्याधुनिक टेस्टिंग सुविधाओं के माध्यम से यहां ऐसी मशीनें तैयार की जाती हैं, जो भारतीय खेती की परिस्थितियों के अनुरूप हों। यहां निर्मित कई उपकरणों का निर्यात भी किया जाता है।

ट्रैक्टर से आगे: फसलों के हिसाब से मशीनों पर जोर

हालांकि ट्रैक्टर खेती की रीढ़ हैं, लेकिन सीएनएच अब खुद को केवल ट्रैक्टर तक सीमित नहीं रखना चाहती। कंपनी ने अपना फोकस 'क्रॉप सॉल्यूशंस' पर बढ़ाया है, खासकर उन कृषि कार्यों में जहां मजदूरों की कमी सबसे अधिक महसूस की जाती है।

सीएनएच इंडिया के प्रेसिडेंट एवं मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नरिंदर मित्तल के अनुसार, 'ट्रैक्टर के साथ-साथ हम फसलों के अनुसार मशीनें विकसित कर रहे हैं। भारतीय खेती की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बेलर और गन्ना हार्वेस्टर तैयार किए जा रहे हैं, ताकि कम मजदूरों में कटाई हो सके और खेत में होने वाला नुकसान घटे।' कंपनी का दावा है कि गन्ना हार्वेस्टर फसल को जमीन के अधिक पास से काटते हैं, जिससे कटाई के बाद होने वाला नुकसान कम होता है। इससे 5 से 10 प्रतिशत तक उपज बढ़ने में मदद मिल सकती है।

आने वाले समय की तैयारी

खेती में मशीनों की बढ़ती जरूरत को देखते हुए सीएनएच ने भारत में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई है। कंपनी ने 2028 तक चौथा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने की घोषणा की है। जैसे-जैसे खेती में समय की कमी, मजदूरों की उपलब्धता और लागत का दबाव बढ़ रहा है, ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनें किसानों की अनिवार्य जरूरत बनती जा रही हैं। इसी बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर बनाने वाली सीएनएच (CNH) भारत में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है।